




यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

Uranium Corporation of India Limited
(A Government of India Enterprise)

46^{वां} वार्षिक प्रतिवेदन
46th Annual Report
2012-13

कंपनी ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 एवं IS 18001 : 2007
An ISO 9001 : 2008, 14001 : 2004 & IS 18001 : 2007 Company





यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

रजिस्टर्ड ऑफिस : जादुगोड़ा माइन्स, जिला — सिंहभूम (पूर्व)

फ़ोन — 832102

दूरभाष : 0657-2730122 / 222 / 353

फैक्स : 0657-2730322

ई-मेल : cs@ucil.gov.in | uranium@ucil.gov.in

वेबसाइट : www.ucil.gov.in

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
1. निदेशक मण्डल	3
2. कार्यकारी अधिकारीगण	4
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	5
4. निदेशकों का प्रतिवेदन	8
5. निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I (ऊर्जा संरक्षण इत्यादि)	18
6. निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II (निर्गमन अभिशासन)	20
7. निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-III (निरंतरता, सीएसआर एवं आर एण्ड डी)	22
8. निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-IV (प्रशिक्षण)	28
9. लेखा विश्लेषण	
(i) प्रमुख विशिष्टताएँ	32
(ii) कम्पनी की वित्तीय स्थिति	33
(iii) कम्पनी की आय एवं व्यय का विवरण	34
10. पाई एवं बार चार्ट	
(i) आय का वर्गीकरण	35
(ii) व्यय का वितरण	35
(iii) आय में वृद्धि	36
(iv) निवल मालियत (नेटवर्थ) में वृद्धि	36
(v) नियोजित पूँजी में वृद्धि	37
(vi) सकल तथा शुद्ध परिसम्पत्ति	37
11. लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	38
12. निगम के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	43
13. 31 मार्च, 2013 की स्थिति का तुलन-पत्र	44
14. वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए लाभ एवं हानि का लेखा	45
15. लेखों की 1 से 26 तक की टिप्पणियाँ	46
16. कैश फ्लो विवरण	63
17. पच्चीस वर्षों की स्थिति का सार संग्रह	74

निदेशक मण्डल

श्री डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)
श्री आर. पी. गुप्ता
निदेशक (वित्त) (30.09.2012 तक)
श्री बी. एल. साबू
निदेशक (वित्त) (18.03.2013 से)
श्री एस. के. चौधरी
(31.03.2013 तक)
श्री आर. एस. शर्मा
(13.06.2013 से)
डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमना
(30.09.2013 तक)
श्रीमती चित्रा रामचंद्रन
(28.08.2013 से)
श्री बी. आर. सदाशिवम
श्री एन. साईबाबा
श्री पी. एस. परिहार
प्रो. तारकेश्वर कुमार
डॉ. अमलेन्दु सिन्हा
श्री बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिव

लेखा परीक्षक

मेसर्स तोडी तुलस्यान एण्ड क.
सनदी लेखाकार
602, लक्ष्मण टावर
एकजीबीशन रोड
पटना-800 001

कार्यकारी अधिकारीगण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	: श्री डी. आचार्य
निदेशक (तकनीकी)	: श्री एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)	: श्री बी. एल. साबू
कार्यकारी निदेशक (परियोजना-दक्षिण)	: श्री एन. एम. बहल
महा प्रबन्धक (खान)	: श्री एस. सी. भौमिक
महा प्रबन्धक (तकनीकी सेवा)	: श्री एस. सिद्धी
महा प्रबन्धक (सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्रशिक्षण)	: श्री जी. एस. घोष हाजरा
महा प्रबन्धक (तकनीकी सेवा एवं योजना)	: श्री अजय घड़े
महा प्रबन्धक (ओपेन पीट)	: श्री पी. एन. सरकार
महा प्रबन्धक (विद्युत)	: श्री पी. के. धर
महा प्रबंधक (कॉरपोरेट योजना)	: डॉ. ए. के. सारंगी
महाप्रबंधक (यांत्रिकी)	: श्री एस. के. गुहानियोगो
कम्पनी सचिव	: श्री बी. सी. गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से



प्रिय सदस्यगण,

कम्पनी की 46वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2011-12 के लिए कम्पनी का अंकेक्षित लेखा विवरण तथा निदेशकों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ लिया गया मानता हूँ।

प्रिय सज्जनों, आपकी कम्पनी 1967 से देश के न्यूक्लीयर पावर प्रोग्राम के लिए ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने में सहयोग प्रदान कर रही है। वर्षानुवर्ष यूरेनियम उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास को महसूस किया है तथा विगत वर्षों में अनेक समस्याओं को पार कर एन.एफ.सी. को रिकॉर्ड डिस्पैच किया है।

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि झारखंड के सरायकेला-खरसावाँ जिले के महलडीह खान को वर्ष के दौरान चालू किया



गया है और अब वहाँ से अयस्क का उत्पादन हो रहा है जिसे तुरामडीह प्रोसेस प्लांट में भेजा जा रहा है। तुम्मलापल्ली यूरेनियम परियोजना, जो अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन फोल्ड परियोजना है, का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। खान से संतोषजनक उत्पादन हो रहा है और इसके संसाधन के लिए बड़ा स्टॉक-पिल बनाया गया है। तुम्मलापल्ली के कई खण्डों के प्रोसेस प्लांट को जाँच की गई है एवं यह उपयोग में है। यह भारत में अलकलॉली लीच प्रोसेस प्लांट होने के कारण प्रोसेस प्लांट के अंतिम चरण में कुछ सुधार के लिए बी.ए.आर.सो. के वैज्ञानिकों से मदद ली जा रही है। यह आशा की जाती है कि इस परियोजना से शीघ्र ही नियमित रूप से उत्पादन होगा। वर्ष के दौरान भौतिक एवं आर्थिक परिणाम उपलब्ध हैं एवं आपकी कम्पनी वर्तमान अच्छे निष्पादन का एक अंग है। अयस्क का संसाधन एवं U_3O_8 का उत्पादन में 20% अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी सुदृढ़ व्यय प्रबंधन को करने में सक्षम है एवं 14.4% तक व्यय को नियंत्रित किया है जबकि अयस्क के संसाधन एवं क्षमता उपयोग में क्रमशः 20% एवं 17% की वृद्धि हुई है। आपकी कम्पनी को कर-पूर्व लाभ 144.17 करोड़ रुपये एवं कर पश्चात लाभ 90.78 करोड़ रुपये दर्ज की गई है एवं गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 67% एवं 40% की वृद्धि हुई है। आपकी कम्पनी ने निर्गमित सामाजिक दायित्व पर 2.24 करोड़ रुपये खर्च किया है जो कि 2011-12 के कर-पश्चात लाभ का 3.45% है। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति करते हुए आपकी कम्पनी अयस्क के प्रति टन संचालन लागत में 5.61% कमी करने में सक्षम रही है। आपकी कम्पनी प्रति टन संसाधित अयस्क पर वृहद्-खर्च को प्रभावी ढंग से कम करने में सक्षम रही है।

आपको सूचित करते हुए हमें गर्व महसूस हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा “यूरेनियम गवेषण रणनीति, खनन एवं प्रोसेसिंग तकनीक” के लिए दुनिया भर में गवेषण के क्षेत्र, खनन एवं प्रोसेसिंग के लिए बड़ी संख्या में युवा प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण देने के लिए कम्पनी को उचित जगह बताया। आपकी कंपनी को वर्ष के दौरान ग्रीन टेक फाउंडेशन से “एच आर अवार्ड-2013” तथा बी.टी. स्टार से “बी. टी. स्टार पो.एस.यू. एक्सिलेंसी अवार्ड ” मिला है। यूसिल, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित अवार्ड के लिए अपना प्रभाव निरंतर बनाए रख रहा है।

यूसिल का सच्चा गर्व जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में अपनी प्रचालन ईकाइयों के आसपास अपनी विश्वसनीयता है। यूसिल ने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का बिना दूर पड़े अन्तर-परस्पर बातचीत की नीति हेतु संगठन के लिए समुचित उपाय निकाला है। यह यूसिल को जमीनी आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाता है जिससे परस्पर विश्वास एवं अच्छे पड़ोसों का वातावरण बनाने में मदद मिली।

आपकी कम्पनी ने गोगी (कर्नाटक), लाम्बापुर (आंध्र प्रदेश) एवं के.पी.एम. (मेघालय) में ग्रीनफिल्ड परियोजना शुरू करने के लिए लगातार प्रयास किया है। तथापि, उपर्युक्त परियोजनाओं के निर्माण कार्य-कलापों को शुरू करने के हमारे सतत प्रयास को समाज के सामान्य लोगों के सामान्य नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण बाधा पहुँचती रही है।

कम्पनी की सबसे बड़ी चुनौती तुम्मलापल्ली के प्रचालन को स्थायित्व प्रदान करना है एवं क्षतिपूर्ति मूल्यों में बकाया संशोधन की प्राप्ति करना है। कम्पनी की दूसरी चुनौती प्रोफेशनलों के बीच उच्च संघर्षण दर है।

वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वोत्तम निष्पादन हमें विश्वास दिलाता है कि मैं आपको यह आश्वासन कर सकूँ कि आपकी कम्पनी की व्यवसाय क्षमता में उच्च शासनादेश मिला है।

अब मैं कम्पनी के 31 मार्च 2013 का तुलनपत्र एवं 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि लेखा आपके विचारार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अंगीकरण के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद,

डी.आचार्य
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कोलकाता
30 सितम्बर, 2013



निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण

सज्जनों,

आपके निदेशकगण को कम्पनी का 31 मार्च, 2013 में समाप्त हुए वर्ष का 46वां वार्षिक विवरण परीक्षित लेखाओं तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

1.0 पंचालन विशिष्टताएँ :

1.1 वित्तीय निष्पादन :

	लाख रुपयों में	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	2012-2013	2011-2012
आय	85,512.28	70,728.46
मूल्य हास एवं पूर्व अवधि का समायोजन के पूर्व लाभ	22,195.15	15,748.75
घटाया : (क) मूल्यहास	7,795.47	7,183.90
जोड़ा : (ख) पूर्व अवधि का समायोजन	17.30	61.84
कर पूर्व का लाभ	14,416.98	8,626.69
घटाया : (क) कर का प्रावधान	4,930.05	2,680.00
(ख) पूर्व के वर्षों के लिए	65.68	(720.41)
(ग) आस्थगित कर का प्रावधान	342.51	182.86
कर पश्चात् लाभ	9,078.74	6,484.24
जोड़ा: विगत वर्ष से लाया गया	19,662.90	16,692.28
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि	28,741.64	23,176.52
विनियोग		
साधारण रिजर्व	1,815.00	1,625.00
प्रस्तावित लाभांश	1,815.00	1,625.00
लाभांश पर कर	308.46	263.62
अधिशेष तुलनपत्र में लाया	24,803.18	19,662.90
	28,741.64	23,176.52

आपकी कम्पनी ने वर्ष के दौरान राजकोष में आयकर, बिक्रीकर, अन्य लाभकर, सुविधाकर, उत्पादशुल्क, सीमाशुल्क (आयात) स्वामित्व शुल्क के रूप में 4,534.46 लाख रुपये (गत वर्ष 4,478.63 लाख रुपये) का योगदान दिया।

1.2 परिचालन निष्पादन:

वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कम्पनी के सभी प्रचालन इकाईयों का निष्पादन बहुत संतोषजनक रहा तथा खनन उत्पादन एवं संसाधन पहले की अपेक्षा काफी उच्चतम दर्ज किया गया तथा संसाधित अयस्क को न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स को भेजा गया।

■ जादुगोड़ा खान

जादुगोड़ा यूरेनियम खान 1968 से प्रचालनरत है और आज देश की सबसे पुरानी एवं गहरी भूमिगत खान है। वर्ष के दौरान खान की उपयोग क्षमता 96.48% दर्ज की गई है। खान का खनन पट्टा नवीनीकरण प्राप्त होने के बाद प्रथम एवं द्वितीय पट्टा नवीनीकरण का आवेदन प्रगतिधीन है। वर्ष के दौरान खनन ढाँचा एवं प्रोसेस प्लांट की आयु की पुनर्जाँच हाल-फिलहाल के एक्सप्लोरेशन के प्रकाश में जादुगोड़ा के आसपास किया गया जिससे कुछ अतिरिक्त लेंस का पता चला है। इससे प्रचालन की आयु के विस्तार में सहायता मिलेगी।

■ भाटिन खान

वर्ष के दौरान खान की उपयोग क्षमता 88.12% दर्ज की गई। आनेवाले वर्षों में उच्च उत्पादन को बढ़ाने के लिए खान ले-आउट एवं अयस्क होस्टिंग व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। इसका विस्तृत विवरण निकाला गया है। प्रथम एवं द्वितीय पट्टा नवीनीकरण का आवेदन जादुगोड़ा खान पट्टा आवेदन के साथ प्रक्रिया में है।

■ नरवापहाड़ खान

नरवापहाड़ खान देश की अत्याधुनिक भूमिगत यूरेनियम खान है जिसमें डिकलाइन प्रवेश एवं पट्टी विहीन उपकरणों को अपनाया गया है। इसकी अयस्क उत्पादन क्षमता 1000 टन प्रतिदिन की है। वर्ष के दौरान इसकी उपयोग क्षमता 138.59 प्रतिशत दर्ज की गई। इसकी उत्पादन क्षमता को 1500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाया जा रहा है। खान लगातार सक्षमता, सुरक्षा, एवं पर्यावरण प्रबंधन में मानदंड स्थापित किया है।



■ तुरामडीह खान

वर्ष के दौरान तुरामडीह खान की उपयोग क्षमता 129.09% दर्ज की गई। यह नरवापहाड़ के बाद दूसरी इस प्रकार की खान है जिसमें अत्यधिक आधुनिक भूमिगत पट्टीविहीन खनन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसका विस्तारीकरण किया जा रहा है जो वर्तमान में 750 टन प्रति दिन से बढ़ाकर 1000 टन प्रतिदिन किया जा रहा है। इस खान में एक छोटे खंड में ट्रायल के लिए एक नई नन-इन्ट्री टाइप स्टोपिंग मेथड की योजना बनाई गई है। उम्मीद की जाती है कि यह अधिक उत्पादक और सुरक्षित होगी।


■ बान्दुहरांग ओपेनकास्ट खान

यह देश की पहली ओपेनकास्ट यूरेनियम खान है जिसकी उत्पादन क्षमता 3500 टन अयस्क प्रतिदिन की है। इस खान के अयस्क को तुरामडीह प्रोसेसिंग प्लांट में संसाधित किया जाता है। वर्ष के दौरान खान विगत वर्ष में नियोजन के लिए आंदोलन के कारण उत्पादन धीमा रहा। खान के आसपास सामाजिक-राजनीतिक माहौल लगातार अस्थायी रूप से बनाया रहता है। सतत् मॉनिटरिंग एवं पूर्व सक्रियता के कारण वर्ष के दौरान इसकी उपयोग क्षमता 94.62% दर्ज की गई।

■ बागजाता भूमिगत खान

इस खान के 2008 में चालू होने के बाद इसका निष्पादन संतोषजनक रहा और इसकी निष्पादन क्षमता 70% दर्ज की गई। इसने धीमी गति से 500 टीपीडी की

वृद्धि की। वर्ष के दौरान इस खान की उपयोग क्षमता 130.63% दर्ज की गई। बागजाता खान से उत्पादित अयस्क ट्रक द्वारा जादूगोड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लाया जाता है। बागजाता से उच्चतम उत्पादन होने के कारण जादूगोड़ा प्लांट में स्टीक पिल के निर्माण में मदद मिली जो कि इस क्षेत्र में लागत ट्रांसपोर्ट के बाधा में बफर है।



■ जादूगोड़ा संयंत्र

यह संयंत्र वर्ष 1968 में चालू हुआ एवं इसका विस्तार तीन चरणों में किया गया। इसकी वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता 2500 टन प्रतिदिन की है। वर्ष के दौरान संयंत्र की उपयोग क्षमता 106.48% रही। मैनेशियम-डाई-यूरेनेट के जगह पर यूरैनियम पेरोक्साइड का उत्पादन हुआ। यूरैनियम पेरोक्साइड पर्यावरण हितैषी एवं मूल्यजनित उत्पाद है जिससे एन.एफ.सी. में प्रोसेसिंग प्रेक्टिस में लाभ मिलता है।

■ तुरामडीह मिल

तुरामडीह मिल अपनी क्षमता का 3000 टीपीडी अयस्क संसाधन के साथ निष्पादन कर रहा है तथा यह आपकी कंपनी के आउटपुट में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह संयंत्र विकसित यंत्रों आधुनिक नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग सुविधाओं से लैस है। इसमें तुरामडीह, बान्दुहरांग एवं महलडोह खानों का अयस्क संसाधित किया जाता है। वर्ष के दौरान इस संयंत्र की उपयोग क्षमता 106.48% रही।



■ उपोत्पाद पृथक्करण संयंत्र

जादूगोड़ा उपोत्पाद पृथक्करण संयंत्र से उत्पादित मैनेटाइट, कम्पनो को वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में रिकार्ड योगदान किया है। इसकी उपयोग क्षमता

68.88% दर्ज की गई। जादूगोड़ा संयंत्र के उत्पाद मैनेटाइट की उच्च शुद्धता ने बाजार से अच्छे उत्पाद दर को प्राप्त किया है।

1.3 नई परियोजनाएं:

■ माहुलडोह भूमिगत खान

यह खान मार्च 2013 को चालू किया गया। यह झारखण्ड में आपकी कम्पनी का 7वां खान है। इसका प्रवेश डिकलाइन से होने के कारण पटरीबिहोन उपकरणों को ले जाने में सुविधा होती है। इस खान से उत्पादित अयस्क तुरामडीह संयंत्र में लाया जाता है।

■ तुमलापल्ली यूरैनियम परियोजना:

झारखंड के बाहर देश का यह प्रथम यूरैनियम उत्पादन केन्द्र है। इसके ले-आउट को अयस्क के संकोर्ण चौड़ाई ज्योमेट्री एवं मॉडरेट गहराई के अनुकूल पुनर्सुधार किया गया है। इसमें ले-आउट का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। खान ने 2000 टन अयस्क प्रतिदिन उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लिया है। पर्याप्त अयस्क स्टीक-पिल का सृजन किया गया है। तथापि क्षेत्रों की खराब स्थिति के कारण हैंगबॉल लोड के दोहन को चुनौती बनी रहती है। नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मैकेनिक कोलार के साथ नई तकनीक स्थायित्व के लिए अध्ययन किया जा रहा है। सिरटम पैरामिटर में सुधार के लिए एवं समस्यामुक्त सतत उच्च प्राप्ति के लिए संयंत्र प्रचालन को स्थायी किया जा रहा है। प्लांट चालू ट्रायल के दौरान संयंत्र में एसडीयू प्रक्षेपण को फाइन ट्यून किया जा रहा है।

■ गोगी यूरैनियम परियोजना, कर्नाटक

आपकी कम्पनी ए.एम.डी. के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्यस्थल पर लगातार खनन अन्वेषण का कार्य पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं पूर्व परियोजना कार्यकलापों को जारी रखे है। तथापि फिलहाल खान निर्मुक्त जल को संसाधित करने पर बल दिया जा रहा है क्योंकि जनता को जल में यूरैनियम घुलने का भय है। इसलिए इफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट की आधिकारिकता एवं स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। आपकी

कम्पनी ई.टी.पी. स्थापना एवं इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बी.ए.आर.सी. के संपर्क में है। पर्यावरण जन सुनवाई का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इन्वायरमेन्टल अप्रैजल कमिटी (ई.ए.सी.) द्वारा सकारात्मक अनुशंसा की गई। तथापि “डीपीएच वैध नहीं है” की एमओईएफ की घोषणा से पूर्व परियोजना कार्यकलाप में देर हुई।

■ लाम्बापुर यूरैनियम परियोजना

लाम्बापुर यूरैनियम परियोजना के लिए आन्ध्रप्रदेश सरकार से खनन पट्टे का अनुमोदन एवं स्थापना हेतु आंध्रप्रदेश पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति अभी तक प्रतीक्षित है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

■ केलोंग-पेंडेंगसोहियॉंग परियोजना, मेघालय:

आपकी कम्पनी माउथाबा मेघालय में केलोंग पेंडेंगसोहियॉंग परियोजना के लिए भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आपकी कम्पनी स्थानीय लोगों से सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के लिए जन-कल्याणकारी कार्य जैसे- सड़क एवं पुलियाँ, स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण, सहायता के लिए शैक्षणिक केन्द्र एवं अन्य सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कर रही है ताकि स्थानीय लोग स्वास्थ्य हानि के भय से मुक्त रहें। आपको कम्पनी द्वारा ढांचागत विकास कार्य किया जा रहा है जिससे कि स्थानीय जनसंख्या को भी सकारात्मक पर्यावरण सृजन में साथ लाया जा सके।

■ रोहित यूरैनियम भण्डार, राजस्थान

आपकी कम्पनी ने इस क्षेत्र में अन्वेषण खनन कार्य करने के लिए ए.एम.डी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जल अनुपलब्धता के कारण कार्य रुक गया था। क्षेत्र में जल स्रोत का पता लगाने की प्रगति के साथ ए.एम.डी. एवं यूसिल खनिज गवेषण कार्य शुरू करने पर विचार कर रही है। खनन योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यूसिल एवं ए.एम.डी. मिलकर कार्य को शीघ्र शुरू करेंगे।

1.4 समझौता ज्ञापन निष्पादन

भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2012-2013 में आपकी कम्पनी के निष्पादन कार्य को “बहुत अच्छा” रेटिंग मिलने की आशा है।

2.0 लाभांश में तथा रिजर्व में स्थानान्तरण

आपके निदेशकगण 1815.00 लाख रुपये का लाभांश देने का सिफारिश करते हुए प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं (विगत वर्ष यह राशि 1625.00 लाख रुपये थी) तदनुसार लाभ से 1815.00 लाख रुपये की यह राशि सामान्य आरक्षित राशि में स्थानान्तरित किया गया तथा वर्ष 2012-13 के लिये लेखा में 308.46 लाख रुपये (विगत वर्ष 263.62 लाख रुपये) लाभांश पर कर के लिए प्रावधान किया गया है।

3.0 अंश पूंजी

वर्ष के दौरान कम्पनी की अधिकृत अंशपूंजी 2500 करोड़ रुपये तथा को निर्गमित अंशपूंजी 1439.62 करोड़ रुपये है (जो 31.3.2012 को भी वही थी)।

4.0 ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन, नवात्पाद तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

कम्पनी अधिनियम 1956 को धारा 217(1) (ई) (निदेशक गण्डल के प्रतिवेदन में दिखाए गए विवरण) कम्पनी नियम 1988 के अनुसार पठित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश तथा विदेशी मुद्रा के उपयोग एवं अर्जन संबंधी विवरण इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-1 में दिखाया गया है।

5.0 औद्योगिक सम्बंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध संतोषजनक रहा। आपको कम्पनी विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के साथ मधुर संबंध बनाये रखने में विश्वास करती है। आपकी कम्पनी वर्ष के दौरान सुचारु एवं सहज औद्योगिक संबंध परम्परा अनुसार सभी प्रचालनरत इकाईयों में बनाये रखा। कर्मचारियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कल्याणकारी मुद्दों जैसे- पदोन्नति, प्रशासनिक उपाय, क्वार्टर आवंटन इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों पर यूसिल प्रबंधन एवं यूरैनियम प्रतिनिधियों तथा ऑफिसर्स एशोसिएशन के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता होती रही। दिनांक 9

फरवरी 2013 को तुमलापल्ली परियोजना की इकाईयों में मान्यता प्राप्त यूनिजन का चुनाव किया गया।

6.0 मानव संसाधन

वर्ष के दौरान 31.03.2013 को आपकी कम्पनी में कर्मचारियों की कुल संख्या 4613 थी। कम्पनी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कम्पनी की कुल कार्यशक्ति का 52.59% है। 31.03.2013 को कम्पनी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 13 तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या 11 थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शनों के आधार पर आरक्षित कोटा भरने के लिए कम्पनी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

7.0 प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

आपकी कम्पनी सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बंध सभी स्तर पर रखती है। वर्ष 2012-13 के दौरान शॉप समिति की 38 बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों को भविष्य निधि के न्यास बोर्ड, ग्रैजुटी निधि न्यास, मृत्यु लाभ योजना, कर्मचारी पारिवारिक सहायता योजना, कल्याण निधि योजना तथा को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आदि योजनाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया। वे सुरक्षा समिति, कैंटिन प्रबंधन समिति तथा स्पोर्ट्स समिति इत्यादि के भी सदस्य हैं।

8.0 कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 को धारा 217(2ए) के साथ पठित यथा संशोधित (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के अनुसार उक्त नियम के तहत वर्ष 2012-13 के दौरान पारिश्रमिक दिया गया जो कि निम्नवत् है:

- श्री डी.आचार्य (अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) - रु. 34.42 लाख
- श्री एस. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी) - रु. 21.78 लाख
- श्री आर.पी.गुप्ता, निदेशक (वित्त), (30.09.2012 तक) - रु. 19.15 लाख
- श्री बी. एल. साहू, निदेशक (वित्त), (18.03.2013 से) - रु. 0.56 लाख

9.0 मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण:

आपकी कम्पनी अपनी कर्मचारियों को एकत्रित करने, रोकने तथा उत्प्रेरित करने का सतत प्रयास करती है एवं वातावरण का निर्माण करती है जिससे वह अपना उत्तम सुपुर्दगी कम्पनी के लिए दे सके। युवा अधिशासी के लिए कम्पनी ने एक नई द्रुत उन्नत विकास योजना निदेशक मंडल के अनुमोदन से प्रारंभ किया है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने 113 अधिशासी को



देश के विभिन्न ख्याति प्राप्त संस्थानों में सेमिनार, प्रशिक्षण एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए नामित किया है। कम्पनी के मानव संसाधन को पूर्ण दक्षता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं सतत रूप से आयोजित किया जाता है जिससे कि विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यकुशलता प्रशिक्षण एवं विकास द्वारा कुशल बनाया जा सके। वर्ष 2012-13 के दौरान नरवापहाड़ के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में 1003 श्रम दिवसों में 184 अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों ने इन-हाउस प्रशिक्षण प्राप्त किया। विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रमलाप अनुगणक-iv में संलग्न है।

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी (आइ.ए.ई.ए.) के साथ जमशेदपुर (झारखण्ड) में एक अन्तर्देशीय प्रशिक्षण सत्र “यूरेनियम एक्सप्लोरेशन स्ट्रेटजी, खनन एवं प्रोसेसिंग तकनीक” विषय पर आयोजित किया गया। यूसिल के 09 लोगों के अलावे 23 आइ.ए.ई.ए. सदस्य देशों को मिला कर 39 लोगों ने इस अधिवेशन में भाग लिया। इस अवधि के दौरान एक आइ.ए.ई.ए. सहित दो अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। यूसिल, ए.एम.डी., डी.ए.ई., बी.ए.आर.सी., एन.एफ.सी. से यूरेनियम विशेषज्ञ, वन



अनुसंधान संस्थान, यादवपुर यूनिवर्सिटी एवं विश्व न्यूक्लियर एशोसिएशन ने यूरेनियम गवेषण, खनन तकनीक, प्रोसेसिंग के तरीके, टेलिंग्स प्रबंधन प्रणाली सहित रिक्लेमेशन, रेग्युलेटरी प्रैक्टिस इत्यादि विभिन्न पहलुओं पर विचार बिमर्श किया। अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारियों ने यूसिल के जादुगोड़ा, नरवापहाड़ एवं तुरामडीह के प्रचालन इकाईयों में जा कर देखा। यूसिल में सुरक्षा उपाय, प्रचलन एवं अपनाई गई प्रचालन मानकों की सभी प्रतिभागियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसा की गई। कार्यक्रम को मिडिया द्वारा विस्तृत रूप से कवर किया गया। यूसिल को आइ.ए.ई.ए. द्वारा आसपास भूमण्डल से प्रोफेसनल्स को प्रशिक्षित कारने के लिए उपयुक्त बताया। इससे यूसिल के बारे में न्यूक्लियर विरोधी समूह द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचना के प्रचार पर अंकुश लगेगा।

10.0 सुरक्षा

आपकी कम्पनी सभी कार्यकलापों पर सुरक्षा के आन्तरिक सुरक्षा संगठनों के ढांचे पर विशेष रूप से महत्व देती है। खान एवं प्रोसेसिंग प्लांट में सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर विशेष बल देती है। शून्य दुर्घटना प्राप्ति हेतु आन्तरिक सुरक्षा संगठन के साथ चालू सुरक्षा मानकों को समय समय पर समीक्षा की गई। प्रचालनों एवं अनुरक्षण के सुरक्षा पर नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की समीक्षा की जाती है। व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को सतत बनाये रखने के लिए आइ.एस.-18001:2007 प्रमाणीकरण को पहचान दी गई है। वर्ष के दौरान वार्षिक सुरक्षा सप्ताह अभियान सभी यूनिटों में आयोजित किए गए। यूसिल,

डी.जी.एम.एस. एवं यूनिजन प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समिति बैठकें आयोजित की गई जिसमें सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए। यूसिल खान सुरक्षा समिति को बैठकें प्रत्येक माह नियमित रूप से आयोजित किए गए जिसमें समिति के सदस्य, यूनिजन प्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य फिजिसिस्ट शामिल हुए। सदस्यों ने बैठकों में खामियों, असुरक्षित कार्यकलाप एवं कार्य करने एवं उक्त अवधि के दौरान दुर्घटना को समीक्षा की। बैठकों के कार्यवृत्त द्विभाषिक रूप में सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वितरित किया गया। व्यवसायिक प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों सहित टेके के मजदूरों को बी.टी. सेन्टर में दिया गया जो कि खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र ने अपने अधिकारियों एवं सुपरवाइजर्स के विकास एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नियोजन पूर्व एवं समय-समय पर सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण योग्य व्यवसायिक स्वास्थ्य फिजिसियन द्वारा कराई गई। आपकी कम्पनी के लिए वर्ष 2012-13 “घातक दुर्घटना रहित” वर्ष रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान कम्पनी के 10 यूनिटों में से 8 यूनिटों में कोई गम्भीर दुर्घटना दर्ज नहीं की गई।

11.0 निगमित सामाजिक दायित्व

आपकी कम्पनी प्रचालनरत इकाईयों के आसपास के लोगों के लिए कल्याणकारी दायित्वों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। निगमित सामाजिक दायित्व को रूपरेखा देते समय तदनुसार कम्पनी सामाजिक-आर्थिक वातावरण एवं इसके सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कम्पनी ने स्वास्थ्य विकास, शिक्षा, संस्कृति एवं खेलकूद कार्यकलापों को अपनी प्रचालनरत इकाईयों झारखंड, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक एवं मेघालय में हांचागत विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। सी.एस.आर. एवं आर. एण्ड डी. के विकास के लिए स्वतंत्र निदेशक के अध्यक्षता में एक बोर्ड-स्तरीय समिति बनाई गई है। समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं-

- डॉ. अमलेन्दु सिन्हा, निदेशक, सीआईएमएफआर, धनबाद-अध्यक्ष

- ii) श्री एम. एल. मजुमदार, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
- iii) श्री एस. के. श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी)
- iv) श्री बी. एल. साबू, निदेशक (वित्त)

इस संबंध में विस्तृत विवरण अनुलग्नक-III में संलग्न है।

12.0 मान्यता एवं पुरस्कार

आपकी कंपनी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की गई। यूसिल में आयोजित अंतर-क्षेत्रीय प्रशिक्षण सत्र जिसे यूसिल-आईआईए द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें प्रदर्शन पर आईआईए का मान्यता प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान यूसिल को विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुआ जिससे आपकी कंपनी के प्रयासों को सर्वोत्तम सराहना मिली है जो निम्नलिखित हैं-



- क) यूसिल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री डी. आचार्य को ग्रीनटेक एच.आर. पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रीनटेक फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2013 के आयोजित "ग्रीनटेक एच.आर. पुरस्कार" श्री डी. आचार्य, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को "एच.आर. ओरिएण्टेड सीईओ" के लिए सम्मानजनक "गोल्ड अवार्ड" मिला।
- ख) ग्रीनटेक फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वर्ष 2013 के लिए ग्रीनटेक अवार्ड में नरवापहाड़ माइंस को सर्वोत्तम प्रशिक्षण के लिए "सिल्वर अवार्ड" प्राप्त हुआ।

- ग) ब्यूरोक्रेसी टूडे, नई दिल्ली द्वारा आयोजित वर्ष 2013 के लिए सीएमडी, यूसिल श्री डी. आचार्य को बी.टी. स्टार पोएसयू पुरस्कार से 19 जून 2013 को सम्मानित किया गया जो कि बी.टी. स्टार पोएसयू सर्वोत्तम पुरस्कार के रूप में स्टार पोएसयू सी.एम.डी. (मिनो रत्न/अन्य) से सम्मानित किया।

13.0 कॉरपोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित एक रिपोर्ट अनुलग्नक-II में दी गयी है।

14.0 सार्वजनिक जमा

वर्तमान समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी व्यक्ति से कोई जमा राशि नहीं स्वीकार की है।

15.0 पर्यावरण एवं वातावरण संरक्षण

आपकी कंपनी अपने कार्यकलापों में जिम्मेदारी की भावना को वखूवी निभाती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के हेल्थ फिजिक्स यूनिट द्वारा जादुगोड़ा, नरवापहाड़, तुरामडोह एवं तुमलापल्ली संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में विकिरण स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। बाह्य गामा रेडियेशन, रेडॉन सांद्रता, वायु में आल्फा कणों की सक्रियता एवं भूमि तथा भूमिगत जल एवं मिट्टी आदि में रेडियम व यूरेनियम जैसे रेडियो न्यूक्लाइड्स की सांद्रता का आकलन नियमित रूप से किया जाता है। खान एवं प्रोसेसिंग प्लांट से निकले सभी अपशिष्टों को जन क्षेत्रों में प्रवाहित करने के पहले शोधन एवं मॉनिटरिंग किया जाता है। औद्योगिक उद्देश्यों के लिए निर्मुक्त करने के पहले सभी खान अपशिष्टों का पूर्ण शोधन करने का प्रयास किया जाता है। संयंत्र से शोधित मलजल एवं बहिःश्रावी के कुछ अंशों का भी पुनर्शोधन किया जाता है। जादुगोड़ा के व्यवहृत टेलिंग्स पॉड का पुनरुद्धार बन अनुसंधान संस्थान देहरादून के साथ तकनीकी प्रयोग कर किया गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार पर्यावरणीय धार्यता का प्रमाण-चिह्न है। आपकी कंपनी ने भी अपने खानों के क्षेत्र में डम्प किये गये अपशिष्ट पदार्थों को पुनरुपचारित करने में प्रगति की है। निगम यकीन करती है कि इसकी सुविधाएं, इसकी आसपास की जनजीवन में सभी तरह से सुधारन में बढ़ोतरी करे। तदनुसार प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र में गृहिणियों,

शिक्षकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शृंखला आयोजित की गई।

16.0 आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण :

आपकी कंपनी को आई.एस.ओ. 9001 : 2008 (गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र) आई.एस.ओ.-14001:2004 तथा आई.एस. 18001 : 2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रमाण-पत्र) प्रमाणीकरण को बनाये रखा है।

16. आई.एस.ओ.प्रमाणीकरण :

आपके निदेशकगण को आई.एस.ओ. 9001:2008 (गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण पत्र) आई.एस.ओ.-14001:2004 तथा आई.एस.18001:2007 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए प्रमाण-पत्र) प्रमाणीकरण को बनाये रखा है। आई.एस. 18001:2007 प्रमाणीकरण के तहत जोखिम निर्धारण एवं प्रबंधन को भी कवर किया जाता है। कंपनी ने आई.एस.ओ.-14001-2004 एवं आई.एस. 18001/2007 का मई एवं जून 2012 में पुनः लेखा परीक्षण कराया था एवं सफलतापूर्वक पुनःप्रमाणीकरण किया गया। आपकी कंपनी आवासीय कॉलोनी के लिए आई.एस.ओ. 14001:2004 प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। इस क्षेत्र में इसका सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण देश के किसी भी खनन औद्योगिक शहर के लिए अग्रणी उपलब्धि होगी और आगे आपकी कंपनी के सतत सर्वोत्तम कौशल पर बल दिया जाता है।

17. लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग (एस.एम.ई.)

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने सिंहभूम एवं तुमलापल्ली में अपने प्रचालनरत इकाईयों के आसपास के क्षेत्रों में स्थित लघु उद्योगों एवं मध्यम उद्योगों को लगातार सहयोग प्रदान किया है। इनमें से कुछ एस.एम.ई. के स्वदेशी उपकरण एवं कलपुर्जों का प्रयोग किया गया है जिससे विदेशी खर्च की बचत हुई। यूसिल अभियंता एवं एस.एम.ई.के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संयुक्त प्रयासों से महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 2012-13 के दौरान एस.एम.ई. को 9.798 करोड़ रुपये मूल्य

का आदेश दिया गया है।

18. विदेश भ्रमण

इस वर्ष विदेश यात्रा पर 8.95 लाख रुपये खर्च हुआ जबकि विगत वर्ष 7.44 लाख खर्च हुआ था।

19. विज्ञापन एवं प्रचार

विगत वर्ष के रु.267.68 लाख की तुलना में इस वर्ष विज्ञापन तथा प्रचार कार्य पर रु. 348.78 लाख खर्च हुआ। यह खर्च निवृत्तियों एवं निविदा संबंधी सूचनाओं के प्रसारण पर किया गया। आपकी कंपनी विज्ञापन एवं प्रचार के लिए वेबसाइट के उपयोग में वृद्धि में प्रगतिशील है।

20. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत बने प्रावधानों एवं नियमों को कार्यान्वित करने की दिशा में प्रयास जारी रखा रखा है। प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। आपकी कंपनी ने नरवापहाड़ भाभा ऑडिटोरियम में एक कवि सम्मेलन "एक शाम कवियों के नाम" आयोजित किया जिसमें जमशेदपुर के सुविख्यात कवियों ने भाग लिया। वर्ष 2012-13 में 14-21 सितम्बर तक हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान कर्मचारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रियतापूर्वक भाग लिया एवं प्रतियोगिताओं के द्वारा उन्हें नकद पुरस्कार प्रदान किये गए।

21. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स टोडी तुलस्यान एण्ड क., सनदी लेखाकार, 602 लव कुश टावर, एक्जिक्शियन रोड, पटना-800 001 को नियुक्त किया है।

22. सतर्कता

निवारक सतर्कता पर संगठन के नियमों एवं विनियमों के अनुसार कड़ाई से पालन हो, इस पर जोर दिया जाता है। सभी

निविदा आमंत्रण सूचना को कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है तथा समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। आपकी कम्पनी में पारदर्शिता लाने के लिए बोर्ड ने "एंटीग्रीटी पैक्ट" के साथ जालसाजी निरोधक नीति/विसल ब्लोअर नीति की स्वीकृति दी है जिसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाला गया है एवं यथास्थान रखा गया है। वर्ष के दौरान सार्वजनिक रिपोर्ट/रिटर्न केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत किये गए हैं। आपकी कम्पनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करती है एवं विभिन्न विभागों के साथ वरिष्ठ अधिकारी को औचक निरीक्षण, भण्डार सत्यापन एवं अन्य परिसर सम्बंधी कार्य हेतु प्राधिकृत किया गया है। आपकी कम्पनी को 29 अक्टूबर, 2012 से 3 नवम्बर, 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया था।

23.0 निदेशकों की नियुक्ति

निदेशकों के नाम (नियुक्ति की तिथि)

श्री बी.एल.साबु, निदेशक (वित्त)	18.03.2012
श्री आर.एस.शर्मा, मुख्य सचिव, झारखण्ड	13.06.2013
श्रीमती चित्रा रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव (आई.एण्ड एम.), प०ऊ० वि०	28.08.2013

निदेशकों की सेवा समाप्ति

निदेशकों के नाम (समाप्ति की तिथि)

श्री आर.पी.गुप्ता, निदेशक (वित्त), यूसिल	30.09.2012
श्री एस.के.चौधरी, मुख्य सचिव, झारखण्ड	31.03.2013
डॉ० सी.बी.एस.वेंकटरमना, अपर सचिव, प० ऊ० वि०	30.09.2013

निदेशकगण डॉ० वेंकटरमना, श्री आर.पी.गुप्ता एवं श्री एस.के.चौधरी के अमूल्य योगदान के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।

24. आपकी कम्पनी विकासमार्ग पर चलते हुए कई चालू परियोजनाओं एवं विस्तारोत्तरण कार्यक्रम तेजी से चला रही है। यूसिल एवं बी.ए.आर.सी. द्वारा किये जा रहे कार्य से तुम्मलापल्ली में प्रौद्योगिकी प्रतिभा में सतत सुधार हो रहा है। उत्पाद के बिना बाधा के प्रक्षेपण के लिए कई उपायों का उद्घरण किया जा रहा है। हेंगवाल लोड के लिए खनन विधियों में सुधार होने से खान एवं आसपास क्षेत्रों में खनन भण्डार में वृद्धि होने की आशा है। इन सभी उपायों से आने वाले महीनों में स्वदेशी यूरेनियम से मांग एवं आपूर्ति की अन्तर को भरा जा सकेगा। इस क्षेत्र में क्षमता विस्तारण, कई खानों एवं संयंत्रों की संरचना, उत्पाद के निम्न संसाधन इत्यादि कार्य किये गए हैं। लोगों द्वारा प०ऊ०वि० के सम्पूर्ण कार्यक्रमों को सामान्य स्वीकृति पाने के लिए तुम्मलापल्ली के आसपास कल्याणकारी कार्यकलापों पर बल दिया जा रहा है। इस सम्बंध में स्थानीय जनता के साथ मिलकर उनकी आकांक्षाएं जानकर देश के सामान्य उत्पादन केन्द्रों, कर्नाटक में गोपी, मेघालय में के.पी.एम., आंध्र प्रदेश में लाम्बापुर में विस्तार करना है ताकि यूरेनियम खनन से होने वाले हानियों के बारे में जो भ्रम है उसे दूर किया जा सके।

उपर्युक्त सभी कार्यकलापों से आपके निदेशकगण को विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आपकी कम्पनी स्वदेशी यूरेनियम की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगी।

25. निदेशकों का उत्तरदायित्व सम्बंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2,ए) के प्रावधानों के अनुसार आपके निदेशकगण बताते हैं कि:

- वार्षिक प्रतिवेदन की तैयारी में लागू लेखा मानक को अपनाया गया है।
- आपके निदेशकों ने उन्हीं लेखा-नीतियों को अपनाया है जो साधारणतया स्वीकृत लेखा उद्देश्यों के लिए मान्य हैं। इसे संगतरूप से अपनाया गया है तथा इसके साथ न्याय एवं मूल्यांकन किया गया है जो कि वियेकरसंगत तथा न्यायपूर्ण है जिससे कि वित्तीय वर्ष के अंत में तथा उसी अवधि में लाभ हानि संबंधी सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) आपके निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी सुरक्षा एवं बचाव तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अभिलेख रखने में मुख्य रूप से पर्याप्त सावधानी रखी है।

(iv) आपके निदेशकों ने 'चालू संस्थान' के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

26. आधार प्रदर्शन

आपके निदेशकगण परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज गवेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, नाभिकीय ईंधन समिश्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तथा झारखण्ड सरकार, आंध्रप्रदेश सरकार, मेघालय सरकार, कर्नाटक सरकार, कम्पनी मामलों के विभाग, लोक उद्यम विभाग तथा अन्य मंत्रालयों नियंत्रक तथा भारत के महालेखा परीक्षक, कानूनी लेखा परीक्षकों, मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा परिषद्-IV नई दिल्ली, बैंकर्स सभो अन्य एजेंसियां जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी से सम्बंधित है से प्राप्त सुझाव एवं सहायता के लिए कृतज्ञ है।

खनन एवं ईंधन अनुसंधान, धनबाद के केंद्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिकल एवं ग्राउण्ड कंट्रोल, कोलार, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर एवं इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों द्वारा सर्वोत्तम सहयोग के लिए आपकी कम्पनी आभार प्रकट करती है।

अंत में, आपके निदेशकगण सभी कर्मचारियों द्वारा निष्ठा एवं समर्पण के भाव से किये गये कार्य तथा कर्मचारी दूनियनों एवं अधिकारियों के संगठन, स्थानीय मिडिया, एन.जी.ओ. एवं समुदाय के सुविख्यात नागरिकों द्वारा सहयोग प्रदान करने के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

(डी.आचार्य)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कोलकाता
दिनांक :

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

कम्पनी नियम, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में दिया गया) विवरण

क) ऊर्जा संरक्षण:

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए निम्नलिखित कार्यान्वयन/उपाय किये गए हैं:

- पम्पों के प्रचालन के लिए तुरामडीह प्लांट में भो.भो.एफ.डो. ड्राइव की स्थापना
 - जादुगोड़ा प्लांट में लीचिंग के लिए टैंकों के साथ एयर एजिटेटेड पाचुका को बदलना
 - तुरामडीह प्लांट में ऑक्सीडेंट के रूप में पायरोल्यूसाइट फाइन के इस्तेमाल द्वारा क्रशर के प्रचालन को बंद करना।
 - जादुगोड़ा प्लांट में नई ईंधन सक्षम 750 KVA DG सेट लगाकर दो 375 KVA DG सेट के साथ बदलना
 - तुरामडीह प्लांट में समयमापी (टाइमर) नियंत्रित प्रदीप्ति प्रणाली
- ख) ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अतिरिक्त विनियोग एवं प्रस्तावों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- उचित स्थानों पर सोलर ऊर्जा का प्रगतिशील उपयोग
 - डिक्लाइन ट्रांसपॉजेशन से शॉफ्ट हॉस्टिंग में क्रमशः परिवर्तन
- ग) (क) एवं (ख) उपायों को अपनाये जाने के बाद सम्बंधित क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत में कमी आई।

विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं उपयोग

आपकी की कम्पनी निर्यात व्यापार में संलग्न नहीं है तथापि कलपूजों एवं पूँजीगत सामानों के क्रय पर वर्ष के दौरान सी.आई.एफ. आधार पर रु.378.52 लाख (गत वर्ष रु.115.58 लाख) रुपये की विदेशी मुद्रा का उपयोग किया गया।

प्रपत्र-बी

अनुसंधान तथा विकास तथा प्रौद्योगिकी ग्रहण करने के सम्बंध में विवरण प्रपत्र:

अनुसंधान एवं विकास (आर.एण्ड डी.)

विशेष क्षेत्र जहाँ अनुसंधान एवं विकास का कार्य किया गया :

- क) तुरामडीह प्लांट में वर्गीकरण के एक चरण को हटाकर ग्राइंडिंग मिल में क्लोज सर्किट प्रचालन में सुधार करना।
- ख) भूमिगत खान में न्यूमेटिक च्यूट के बदले हायड्रोलिक में परिवर्तन करना।
- ग) रडॉन एवं नॉक्सियस गैसों की आन-लाइन मॉनीटरिंग द्वारा खान वेंटीलेशन का प्रबंधन।

उपर्युक्त आर.एण्ड डी. कार्यों के फलस्वरूप हुए लाभ:

- क) ग्राइंडिंग मिल के क्लोज सर्किट में सुधार से लाभ
 - i) ऊर्जा का संरक्षण
 - ii) फाइन जेनरेशन में कमी से अच्छी रिकवरी
- ख) न्यूमेटिक च्यूट से हायड्रोलिक में परिवर्तन से लाभ
 - i) ऊर्जा का संरक्षण
 - ii) प्रचालन में सक्षमता
 - iii) प्रचालन में सुरक्षा

ग) भूमिगत खान में हानिकारक धुँएँ का आन-लाइन मॉनीटरिंग से लाभ:

- i) ऊर्जा का संरक्षण
- ii) प्रचालन में सक्षमता

भविष्य की रूपरेखा

- क) तुम्मलापल्ली परियोजना में स्टूप-अभिकल्पना के विकास के लिए हैंगवाल लोड के रॉक मैकेनिकल लक्षणों का निर्धारण करना।
- ख) झारखण्ड सिंहभूम दबाव क्षेत्र में यूरेनियम भार के लिए उपयुक्त नन-ईट्री टाइम स्टोपिंग विधि का विकास करना।
- ग) यूरेनियम पेरॉक्साइड के अनुकूलतम अवक्षेपण हेतु एजीटेटर प्रोफाइल की पुनर-अभिकल्पना

4. अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(क) पूँजी	रु. 43.63 लाख
(ख) राजस्व	रु. 374.11 लाख
कुल	रु. 417.74 लाख

5. प्रौद्योगिकी समावेश, अनुकूलन एवं नवीनीकरण

टेलीकम्यूनिकेशन के क्षेत्र में विकास, विशेष रूप से वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भूमिगत खान में प्रयोग को आवश्यकता है। यद्यपि देश में इस दिशा में वादा गतिविधि नहीं है, यूसिल ने कुछ अप्रगामो कदम उठाया जिससे सुरक्षा में सुधार होगा, मशीनरी के टाइम-डाउन में कमी होगी एवं इससे सक्षमता में वृद्धि होगी।

यूसिल ने परिसम्पत्तियों के रिमोट ट्रैकिंग, वायरलेस संचार का इस्तेमाल, आई.पी. फोन का कार्य हाथ में लिया है एवं भूमिगत खान के विशेष क्षेत्रों में प्रदूषण स्तर को वास्तविक समय में मॉनीटरिंग द्वारा ऑटोमेटिक स्वीचिंग ऑन/ऑफ वेंटीलेशन सिस्टम को अपनाया।

स्लरी ट्रान्सफर पम्प के हाई सक्शन हेड को कार्यान्वित किया गया है एवं तुम्मलापल्ली में विशिष्ट अलक्लाइन प्लांट में खर्चीली मैकेनिकल सोल्यूशंस को लगाना आदि कार्य।

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

निगमित अभिशासन

कम्पनी को विश्वास है कि उन्नत कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता, स्पष्टीकरण एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ाता है। आपकी कम्पनी द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के अपने समस्त कार्यों में निष्कपटता एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है।

निदेशक मण्डल

कम्पनी आर्धनियम 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत यूसिल एक सरकारी कम्पनी है। इसकी समस्त अभिज्ञत पूँजी भारत के राष्ट्रपति के पास है तथा इसके 3 शेयर उनके द्वारा नामजद व्यक्तियों के पास हैं।

निदेशक मण्डल में कार्यपालकों तथा गैर कार्यपालकों का उचित समिश्रण है। 31.03.2013 को बोर्ड में 10 निदेशक हैं जिनमें (i) 3 पूर्ण कालीन कार्यरत निदेशक हैं यथा- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) तथा (ii) 7 अंश कालिक गैर कार्यपालक निदेशक हैं। बोर्ड की बैठक नियमित अन्तराल पर होती है तथा यह कम्पनी के उचित निर्देशन एवं प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी है।

माच 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बोर्ड के निदेशकों को 8 बैठकें आयोजित की गईं जो इस प्रकार हैं- 27.04.2012, 27.06.2012, 31.08.2012, 27.09.2012, 29.12.2012, 16.02.2013, 20.03.2013 एवं 28.03.2013। निदेशकों की संख्या, बोर्ड की बैठकों में उनकी उपस्थिति एवं वार्षिक साधारण सभा तथा असाधारण बैठकों में उनकी उपस्थिति इस प्रकार थी :

31.03.2013 को नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठक		27.07.12 को हुई वार्षिक साधारण सभा में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में निदेशकता
		कार्यकाल अवधि में हुई	उपस्थिति		
कार्यकारी निदेशक					
श्री डी.आचाये, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (साथ ही साथ निदेशक (तकनीकी) का पद दिनांक 12.06.2012 तक धारण किये)	क्रिय शील	08	08	हाँ	-
निदेशक (वित्त) का पद दिनांक 01.10.2012 से 17.03.2013 तक धारण किये	क्रिय शील	08	08	हाँ	-
श्री एस.के.श्रीवास्तव, निदेशक (तकनीकी) (13.06.2012 से)	क्रिय शील	07	07	-	-
श्री अर.पी.गुप्ता, निदेशक (वित्त) (30.09.2012 तक)	क्रिय शील	04	04	-	-
श्री बी.एल.साधु, निदेशक (वित्त) (18.03.2013 से)	क्रिय शील	02	02	-	-
गैर कार्यकारी निदेशक					
डॉ. सी.बी.एस.वेंकटरमणा, अपर सचिव (आई एण्ड एम) डी.ए.ई.	अंशकालीन पदेन	08	08	हाँ	-
श्री डॉ.आर.सदाशिवम, संयुक्त सचिव (वित्त), डी.ए.ई.	अंशकालीन पदेन	08	04	हाँ	-
श्री एस.के.चौधरी, मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार (31.03.2013 तक)	अंशकालीन पदेन	08	03	-	-
श्री एन.सईबाबा, मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी.	अंशकालीन	08	04	-	-
श्री पी.एस.परिहार, निदेशक, ए.एम.डी.	अंशकालीन	08	05	-	-
डॉ. अमलेन्दु सिन्हा, निदेशक, सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च	अंशकालीन	08	05	-	-
प्रो० तारकेश्वर कुमार, निदेशक, एन.आई.टी. दुर्गापुर	अंशकालीन	08	03	-	-

कम्पनी आर्धनियम 1956 की धारा-617 के अनुसार पूर्णकालिक के लिए कार्यरत निदेशकों का वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है क्योंकि यह भारत सरकार की कम्पनी है। अंशकालिक निदेशकों के लिए जो या तो सरकारी अधिकारी हैं अथवा सरकारी उपक्रम के अधिकारी होते हैं उन्हें बैठक में उपस्थित होने पर कोई शुल्क नहीं प्रदान किया जाता है।

लेखा परीक्षण समिति :

31.03.2013 के अनुसार गठित लेखा परीक्षण समिति निम्नवत् है :

1.	डॉ. अमलेन्दु सिन्हा (निदेशक, सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद)	अध्यक्ष
2.	डॉ. सी. बी. एस. वेंकटरमणा (अपर सचिव, आई एण्ड एम- डी.ए.ई.)	सदस्य
3.	श्री एन.सईबाबा (मुख्य कार्यकारी, एन.एफ.सी.)	सदस्य
4.	श्री एस.के.श्रीवास्तव (निदेशक, तकनीकी-यूसिल)	सदस्य

वर्ष के दौरान समिति को बैठकें दिनांक 27.04.2012, 31.08.2012, 27.09.2012 तथा 29.12.2012 को आयोजित की गईं। समिति ने कम्पनी की वार्षिक प्रतिवेदन 2012-13 की समीक्षा की तथा इसके साथ ही आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की समीक्षा की।

पारिश्रमिक समिति :

31.03.2013 के अनुसार पारिश्रमिक समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया :

1.	डॉ. अमलेन्दु सिन्हा (निदेशक, सेंट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्यूल रिसर्च, धनबाद)	अध्यक्ष
2.	श्री पी.एस.परिहार निदेशक, ए.एम.डी.	सदस्य
3.	श्री एस.के.श्रीवास्तव (निदेशक तकनीकी, यूसिल)	सदस्य
4.	श्री बी.एल.साधू (निदेशक (वित्त), यूसिल)	सदस्य

आचरण नियमावली :

कम्पनी के पास अपना आचरण नियमावली है जो बोर्ड के सदस्यों एवं बरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है और इसे कम्पनी के वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

इंटीग्रीटी पैक्ट सहित जालसाजी निरोधक नीति /व्हीसिल ब्लोअर नीति :

अखंडता समझौता सहित जालसाजी निरोधक नीति /व्हीसिल ब्लोअर नीति बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे कंपनी के वेबसाइट पर दर्शाया जाता है।

साधारण बैठकें :

विगत 3 वर्ष के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों/असाधारण बैठकों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2011-12 (वार्षिक साधारण बैठक)	27.09.2012	13.00 बजे	कोलकाता
2010-11 (वार्षिक साधारण बैठक)	27.07.2011	13.00 बजे	कोलकाता
2009-10 (वार्षिक साधारण बैठक)	24.09.2010	13.00 बजे	हैदराबाद

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-III

निरंतरता, निगमित सामाजिक दायित्व और अनुसंधान एवं विकास पर प्रतिवेदन

स्थिर विकास



देश के परमाणु शक्ति कार्यक्रम में घरेलू उपयोग के लिए यूसिल का लो-ग्रेड यूरैनियम अयस्क का खनन और संसाधन एक सतत विकास का सार्थक राष्ट्रीय अनुवर्ती सक्रियता है। यूसिल का लो-ग्रेड देशी यूरैनियम अयस्क का खनन और संसाधन समाज के सतत विकास को एकीकृत करती है क्योंकि यह न्यूक्लियर पावर रिचेंजर्स (पी.एच.डब्ल्यू.आर.) के प्रथम चरण में यूरैनियम के अनुकूल उपयोग का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार जोड़र रिचेंजर्स के थर्ड स्टेज में प्रचुर देशी थोरियम के उपयोग का मंच मिलता है।

यूसिल हमेशा से ही अपने आर्थिक गतिविधि, सामाजिक उत्थान तथा पर्यावरणीय दायित्वों के लिए एक संतुलित मार्ग अपनाया है जिससे कि इसका लाभ समान एवं इसके सभी परिचालनों को मिला है। खनन की कट एण्ड फिल विधि खनिज सम्पदा का संरक्षण एवं सुरक्षा के माध्यम से निरंतरता पहल का प्रतीक है क्योंकि इस खनन विधि का चुनाव फिल मैटेरियल के रूप में मिल टेलिंग तथा विकाशशील वेस्ट रॉक का इस्तेमाल के द्वारा हमारे मोडरेट डीप और ज्योपेट्री और अनियमित लैंटीकुलर गोर बॉडी, हॉगिंग बाल की स्थिरता सुनिश्चित करता है। फिल मैटेरियल के रूप में वेस्ट रॉक का उपयोग खान में पर्यावरण संघात को कम करता है एवं उपरी सतह की जमीन का उपयोग वेस्ट रॉक डम्प के उपयोग के लिए कम होता है और डम्प करने के लागत में कमी आती है।

पर्यावरण के साथ निरंतर सामंजस्य सिर्फ संरक्षण और सुरक्षा के लिए ही नहीं बना है, बल्कि यह कई सामाजिक सांस्कृतिक और तकनीकी इन-पुट में वृद्धि करता है। इस संदर्भ में यूसिल अपने परिचालनों के आस पड़ोस के क्षेत्रों में गुणवत्ता शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। पानी का संरक्षण पुनर्चक्र, पुनः उपयोग तथा पुनःउद्धार, भूमिगत जल का संरक्षण बारिश के जल के संचयन योजना के द्वारा, उपयुक्त तकनीक को अपनाने हुए प्रवाह का उपचार, ऊर्जा का संरक्षण नवीकरणीय स्रोत के माध्यम से कंपनी के अंशधारियों के वृहद निरंतर विकास की शुरुआत, आर्थिक निरंतरता के लिए सामाजिक एवं वित्तीय वृद्धि जारी रहेंगे। हमारा पर्यावरण उत्तरदायित्व वेस्ट डम्प का निर्माण सहित विविध कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। टेलिंग स्टोरेज पाण्ड, जो काफी कुशल अभिव्यंजन इम्पाउंडमेंट सुविधा जो रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जैसे : वाक, एफ.आर.आई. देहरादून, बी.आर.एन.एस. इत्यादि जैसे वैज्ञानिकी क्रिया को सहायता से रेग्युलेटरी ऑथोरिटी के डिजाइन के अनुसार बनाया गया है। वेस्ट डम्प का स्थितिकरण इस तरह से सुनिश्चित किया जाता है जिससे कि ओर रिजर्व, वाटर बॉडी, हैबिटेसन, कृषि भूमि पर प्रभाव कम से कम हो।

यूसिल बहुत तरीके से प्रयास करता है कि अपने आस पड़ोस की इकाईयों में निरंतर जीवन निवाह होता रहे और हमेशा स्थानीय लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने की कोशिश किया गया है। इस संदर्भ में कंपनी ने कई निगमित सामाजिक दायित्व की शुरुआत की है जिससे कि लोगों के आय के साधन में विस्तार हो। इस सम्बंध में ध्यान देने योग्य बात है कि स्थानीय लोगों को अतिरिक्त प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की गई है ताकि वे अपनी प्रतिभा को और बढ़ाते हुए आस पास और कहीं भी अपने आय के साधन को और बढ़ा सकें।

यूसिल की निरंतर योजना से स्थानीय लोगों, स्थानीय ग्रामीण लोगों को काफी मदद मिली है। इनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है और इनके सांस्कृतिक स्मारकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर छः पारंपरिक पूजन स्थलों को उनके मूल स्वरूप का संरक्षण यूसिल के अभियंता, स्थानीय समुदाय के सदस्यों और संगठन के लोगों के द्वारा किया गया है। आगतुक तथा पूजा करने वाले लोग यहीं के स्थानीय नृत्य के रंग रूप तथा पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि का आनंद ले सकते हैं।



निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

निगमित सामाजिक दायित्व को कंपनी के सभी परिचालन इकाईयों में उच्च प्राथमिकता दी जाती है जो अपने पड़ोस के प्रामाण्यताओं के साथ अपने समोपवर्ती संचालित इकाईयों के निकट आपसो सौहार्द,

‘‘वामुडीह > यूसिल का भागीरथ प्रयास रंग लाया

बदल गयी 56 किसानों की जिंदगी



सक्रिय भागीदारी और दीर्घकालीन प्रतिबद्धता से स्थायी रिश्ते बनाने में वर्षों लगे हैं। इस प्रकार हमारे निगमित सामाजिक दायित्व योजना तथा सामुदायिक सम्बंध के द्वारा सक्षम पड़ोस प्रबंधन हमारी खनन तथा संसाधन गतिविधियों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

आपकी कंपनी निकटवर्ती गाँवों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिये सामुदायिक विकास कार्य में हमेशा अग्रणी रही है और सामुदायिक उद्देश्यों को सफल बनाने में मुख्य भूमिका अदा की है।

यूसिल आय अर्जन कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान कर अग्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है तथा ग्रामीणों को नए कौशल के अपने अर्जन स्तर को उन्नत करने तथा स्वावलम्बी बनने के लिये संघर्ष करने की शिक्षा देती है। स्थानीय बेरोजगार युवकों को आधारभूत कार्यों का विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्थानीय लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा जैसे कार्य आपकी कंपनी द्वारा निष्पादन करने से झारखण्ड और आंध्र प्रदेश तथा मेघालय जो कि अभी संचालित नहीं है, के आस पास के लोगों में विश्वास पैदा हुआ है।

आपकी कंपनी मानव संसाधन योजना के सफल कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण विकास मानती है। इसके अलावा अपने नियमित कर्मचारियों की योग्यता को बढ़ाने के लिए कार्य के साथ आई.आई.टी. खड़पुर, आई.एस.एम.धनबाद, एक्स.एल.आर.आई. जमशेदपुर इत्यादि स्थानों से विभाग को आमंत्रित कर लिखित प्रशिक्षण प्रदान करती है।

यूसिल सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम-एक सारांश

जैसा कि सी एस आर नीति में दर्शाया गया है, स्थानीय पड़ोसियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए आत्मनिर्भरता को दिशा में प्रशिक्षण का दिया जाना यूसिल का प्रथम उद्देश्य है। इस संबंध में विभिन्न पाठ्यक्रमों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है :

स्वरोजगार/आय उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम :

प्रशिक्षण प्रदान करने के विषय :

- स्थानीय ग्रामीणों को अपने जीवन स्तर के विकास कि लिए व्यावसायिक हुनर सीखने में सहायता करना
- ग्रामीणों को विकास जारी रखने के लिए निजी आय के स्रोतों के उत्पादन को आरंभ करने के लिये प्रोत्साहित करने और अपने बेहतर भविष्य के लिये अपने जीवन को समृद्ध बनाने में सहायता करना
- स्व-व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विभिन्न सामुदायिक केंद्रों में जन शिक्षण संस्थान (एच आर डी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन) तथा अन्य सरकारों एजेंसियों की सहायता से ग्राममूली कोर्स शुरू पर आयोजित किये जाते हैं।
- प्रशिक्षण के लिए व्यवसाय, बाजार के अवसर एवं डम्पीद्वार की इच्छा के आधार पर चुने जाते हैं।

प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त यूसिल के मुख्य कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है :

सभी के लिए स्वास्थ्य :

यूसिल में पड़ोसी समाज में रहने वाले स्थानीय लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई कदम उठाये गए हैं, जैसे



- समयबद्ध चलंत चिकित्सा शिविर की व्यवस्था करना
- स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
- प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण शिविरों का आयोजन
- सामुदायिक विकास केन्द्रों में शिशु देखरेख प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व लेना।

ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र :

गरीबी रेखा से नीचे के वर्गों को ग्रामीण आवादी में चिकित्सा आवश्यकता की कमी को पूर्ण करने के लिए यूसिल ने नरवापहाड़ में नवम्बर 2007 में सुसज्जित ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की है जो मुख्यतः निम्नलिखित है-

- दायरे में आने वाली जनसंख्या- प्रचलित इकाईयों के 5 किलोमीटर के अन्तर्गत रहनेवाले ग्रामीण
- कार्य के घंटे- 9.00 पूर्वाह्न से 12.00 दोपहर तथा 2.00 अपराह्न से 5.00 अपराह्न
- केन्द्र के पास शिक्षित चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ हैं
- केन्द्र दवाईयों मुफ्त में उपलब्ध कराती है।

पीने का पानी:

पड़ोसी ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित जल के कार्यक्रम में निम्नलिखित उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करना :

- नए चापाकल
- नल के पानी की आपूर्ति
- गहरे घोर-होल
- आर ओ प्लान्ट का लगाया जाना

- त्यौहारों, विवाहों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों में वाटर टैंकर के जरिये पीने के पानी को आपूर्ति करना
- वार्षिक रख-रखाव निविदा के आधार पर वर्तमान ग्रामीण स्तर के चापाकलों की नियमित मरम्मतों तथा रख-रखाव

शिक्षा :

शिक्षा सम्बंधी विविध मुद्दों को दक्ष बनाने के लिए यूसिल ने अपने सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाये हैं :

- गरीब ग्रामीण बच्चों के लिए चुनाव की पारदर्शी पद्धति के जरिये शिक्षकों के घटक दल और प्रशासक विभिन्न समीपवर्ती गाँवों का दौरा करते हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का चुनाव करते हैं बाद में जिनको हमारे परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय में 12वें वर्ष तक के लिए भर्ती कर लिया जाता है और उन्हें निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, विद्यालय पोशाक, जूते, सभी पढ़ाई सामग्रीयों दिये जाते हैं तथा लड़कियों को 400 रुपये तथा लड़कों को 300 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है। अभी तक 166 से अधिक बच्चों इस योजना के तहत प्रवेश लिये जा चुके हैं और लाभान्वित हुए हैं।
- समीपवर्ती ग्रामीण विद्यालयों में बैठने की व्यवस्था के लिये पर्याप्त मात्रा में कुर्सियों का प्रावधान
- क्षेत्र के विद्यालय भवनों में क्लास रूम तथा शौचालयों के बनाये जाने तथा मरम्मतों के लिए आर्थिक समर्थन।

औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र :

मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने और विशेष कर परियोजना प्रभावित युवा तथा आस पड़ोस के लोगों के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में यूसिल ने 2009 में अपने तुरामडीह इकाई में शिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ एक आर्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना किया है। प्रशिक्षण के व्यवसाय इलेक्ट्रिसियन, फिटर तथा वेल्डर हैं।

आधारभूत संरचना सुविधा :

यूसिल ने आधारभूत संरचना सुविधा को उन्नत करने के लिए ठोस कदम उठाये हैं और अपने पड़ोसी समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

- विद्यालय भवन का निर्माण
- डबल्यू बी एम रोड का निर्माण
- अलकतराकृत रोड का निर्माण
- उच्च श्रेणी के पुल एवं पुलियों का निर्माण
- सामुदायिक विकास केन्द्रों (सीडोसो) का निर्माण
- बहु-उद्देशीय सामुदायिक हॉल का निर्माण
- नए तालावों का निर्माण
- वर्तमान तालावों की मरम्मतों तथा गहरा करना
- स्नानागारों का निर्माण
- शिक्षण संस्थाओं, सामुदायिक केन्द्रों, आंगनवाड़ी, पंचायत घरों का नवीनीकरण
- स्वच्छ शौचालयों का निर्माण
- ग्रामीण धार्मिक स्थानों इत्यादि का विकास
- खेल के मैदान का विकास और स्पोर्ट्स गैलरी का निर्माण
- बस पड़ाव का निर्माण

सोलर पावर स्ट्रीट लाइट का प्रावधान

संस्थान ने अपने इकाईयों के समीपवर्ती गाँवों में सोलर पावर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराये हैं जिसमें मरम्मतों की आवश्यकता होती है, चलाने का खर्च कम आता है और बिजली के प्रदूषण-रहित स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यूसिल नियमित रूप से इन उपकरणों की मरम्मतों की जिम्मेदारी लेती है।

क्रीड़ा गतिविधियों का विकास :

यूसिल ने हमेशा ही न सिर्फ अपने कर्मचारियों को बल्कि स्थानीय युवकों के लिए भी खेल कूद को सर्वोच्च महत्त्व दिया है। इसका लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को उच्च योग्यता की ओर परिवर्तित करना तथा क्रीड़ा व्यवसाय को क्रीड़ा क्षेत्र में उत्कर्ष प्राप्ति की दिशा में वचनबद्ध है। इस क्षेत्र में यूसिल के प्रयास ने कुछ नए खिलाड़ियों को जन्म दिया है जो हमारे द्वारा तीरंदाजी और फुटबॉल में प्रशिक्षित किये

गए हैं और राष्ट्र और राज्य का प्रतिनिधित्व किये हैं। क्षेत्र में क्रीड़ा के विकास के लिए यूसिल के द्वारा उठाए गए कदम निम्नवत् हैं :-

- बेहतर आधारभूत संरचना सुविधा तैयार करना तथा आधुनिक क्रीड़ा उपकरण, नियमित अभ्यास के लिए उपलब्ध करना
- विभिन्न क्रीड़ा तथा खेल में व्यवस्थित तथा वैज्ञानिकी कोचिंग उपलब्ध करना
- स्थानीय गाँवों के बीच नियमित टूर्नामेंट आयोजित करना
- ग्रामीण प्रतिभागियों के बीच प्रतिभा योग्यता की मौजूदगी एवं चयन

क्रीड़ा सुविधा :

- पड़ोसी गाँवों के खेल के मैदानों का विकास
- ग्रामीण खेल के मैदान का निर्माण एवं विकास
- प्रत्येक ग्रामीण खेल के मैदानों में गोल पोस्ट का प्रावधान
- उच्च श्रेणी के क्रीड़ा उपकरणों का मुफ्त वितरण
- क्रीड़ा पोशाक, जैसे: जर्सी, जूते इत्यादि का मुफ्त वितरण
- ग्रामीण प्रतिभा को प्रशिक्षण देने के लिए समयबद्ध प्रशिक्षण की व्यवस्था
- ग्रामीण क्रीड़ा टूर्नामेंट के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता।

सांस्कृतिक परंपरा को प्रोत्साहन देना तथा सुरक्षित रखना

यूसिल पड़ोसी गाँवों के ग्रामीणों की जातीय पहचान को सुरक्षित रखने की दिशा में भी कदम उठा रही है।

इस सम्बंध में निम्नलिखित पहल किये गए हैं :

- पारम्परिक लोकनृत्य, ड्रामा उत्सव तथा जातीय क्रीड़ा को प्रोत्साहन देने के लिए सहायता प्रदान करना।
- प्रत्येक ग्रामीण समुदायों में उनके ग्रामीण पूजन स्थान (जाहेरस्थान) के विकास एवं निर्माण करने में सहायता करना।

इसके अतिरिक्त, यूसिल ने अपने सूचना केन्द्र, नरवापहाड़ में एक "ट्रायबल हेरोटेज सेन्टर" की स्थापना की है और निकटवर्ती

समुदायों में रहनेवाले ग्रामीणों के बड़े और छोटे सांस्कृतिक परंपरा और जीवन स्तर को दर्शाया है और प्रारम्भिक मूल की पहचान के लिए जातीयता सामग्रियों तथा प्राचीन सामग्रियों का प्रदर्शन किया है।

निष्कर्ष

हमारे सी.एस.आर.नेतृत्व आस पास के समुदायों को उनके जीविका और विकास का लक्ष्य साकार करने से रोकने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। ये नेतृत्व उनको योग्यता को बढ़ाते हैं और उनके विरोध और पीड़ा को कम करते हैं। आने वाले वर्षों में यूसिल नए कल के लिए अधिक व्यक्तियों के समावेश के द्वारा इसके विस्तार को फैलाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि न सिर्फ हमारे कर्मचारी बरतु हमारे सारे पड़ोसी समर्थ हो जाएं।

यूसिल के द्वारा संचालित रोजगार अनुकूल प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम का नाम	
सिलाई और एम्बॉर्डरी	कैन्सो क्लाउज तथा जम्पर बनाना
मशरूम कृषि	कृत्रिम ज्वेलरी बनाना
कम्प्यूटर शॉफ्टवेयर का प्रयोग	जरो कार्य
डब्बा और टोकरी बनाना	घरों के कटोरी बनाना
मोटर और ट्रांसफॉर्मर वाईडिंग	सिलाई और कटाई
चापाकल मरम्मती	बाई-साईकल मरम्मती
गोल्ड्री फार्मिंग	सौंदर्य प्रसाधन एवं स्वास्थ्य संरक्षण

टिप्पणी:

- उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम यूसिल के अपने प्रचालन इकाईयों में अवस्थित सामुदायिक विकास केंद्रों के सुसज्जित क्लासरूम में संचालित किये जाते हैं।
- पाठ्यक्रम शुल्क के लिए वित्तीय सहायता यूसिल के द्वारा स्थानीय युवाओं (पुरुषों और महिलाओं दोनों) के लिए दी जाती है।
- पाठ्यक्रम की सफलतम समाप्ति के पश्चात् सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र निर्गत किया जाता है।
- अभी तक 1289 बेरोजगार स्थानीय युवाओं ने विभिन्न केंद्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किया है।

➤ उनको योग्यताओं तथा आय के संपूर्ण स्त्रोतों के व्यवसायीकरण हेतु यूसिल ने अपने कॉलोनी शॉपिंग कम्प्लेक्सों में लैंडिंग टेलरिंग शॉप तथा व्यवसाय केंद्रों को सहायता दिया है।

➤ निगम ने मशरूम की खेती, फिनाइल बनाना तथा हरे पत्ते के दोने इत्यादि बनाने के लिए स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक विकास केंद्र तथा ग्रामीण स्तर पर तीन उत्पादन केंद्र खोले हैं।

➤ उत्पादों को यूसिल के विभिन्न इकाईयों में खपत हेतु स्व सहायता समूह के द्वारा खरीदा जाता है।

अनुसंधान एवं विकास

इन-आउस अनुसंधान एवं विकास के द्वारा कटिंग एज टेक्नोलॉजी अपनाने में यूसिल अग्रगामी है। वर्ष 2012-13 के दौरान यूसिल द्वारा समर्पित भाव से कुछ विशिष्ट कार्य किये गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

क. तुरामडीह खान में ऑन-लाइन मॉनिटरिंग द्वारा हानिकारक गैसों का खान वेंटिलेशन प्रबंधन:

यह अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमलाप "वेंटिलेशन ऑन डिमांड" को अवधारणा पर आधारित है। सिस्टम का उद्देश्य, जब प्रदूषण का भार में वृद्धि भूमिगत खान के विशेष क्षेत्र में डीजल पावर भूमिगत लोडर के प्रचालन, खान ट्रकों एवं सर्विस वाहनों अथवा रॉक ब्लास्टिंग विस्फोट का इस्तेमाल होता है, जब स्वच्छ वायु की आपूर्ति में वृद्धि करना है। उसी प्रकार जब इसी प्रकार के प्रदूषण विहित थ्रेसहोल्ड सीमा से नीचे होता है तब पंखों को बंद कर इस सिस्टम का उद्देश्य बिजली की बर्बादी को बचाना होता है।

सिस्टम संरूपण में सी.ओ. और एस.ओ.2 गैस डिटेक्टर वास्तविक समय नियंत्रक में एनॉलॉज आउटपुट भेजता है। सी.ओ. और एस.ओ.2 के माप के आधार पर नियंत्रक स्वीच ऑन/ऑफ नामित खान फैन को दिये गए प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है।

नियंत्रक पहचान करने एवं स्टॉप आंकड़ों को संग्रह करने में

सक्षम होगा जो कि विभिन्न सेंसरों से प्राप्त होगा। जैसा कि वर्तमान में सिरटम ऑपरेटिंग स्टैंडालोन मोड में होगा, डाटा को वायरलेस डाउनलोड करने का प्रावधान है जिसमें लैपटॉप कंप्यूटर अथवा एंड्रायड फोन नियंत्रक से 30 मीटर दूरी तक कार्य करेगा। एम.एस. एक्सल फाइल में डाउनलोड किये गए डाटा को खान के वेंटिलेशन प्लानिंग को सुधार करने में विश्लेषित किया जा सकता है।

ख. नरवापहाड़ भूमिगत खान के न्यूमेटिक च्यूट का हाइड्रॉलिक में परिवर्तन

सभी भूमिगत खानों में च्यूट सामान्य प्रेक्चर है। अयस्क च्यूट से खान टुक को भरना ट्रांसपोर्ट का एक अन्य तरीका है। उसी प्रकार सभी च्यूटों का प्रचालन न्यूमेटिक तरीके से संपीड़ित वायु का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। न्यूमेटिक च्यूट के हमेशा प्रचालन से संपीड़ित वायु की अधिक खपत होती है जिसके कारण बिजली की खपत होती है। नरवापहाड़ खान में, मुख्य कंप्रेसर को संपीड़ित वायु की भूमिगत में आपूर्ति की क्षमता 3976 सी.एफ.एम.(750 के.डब्ल्यू. मोटर) है। विभिन्न न्यूमेटिक तरीके के संचालित उपकरणों के लिए मुख्य कंप्रेसर के प्रचालन से काफी मात्रा में बिजली ऊर्जा की खपत होती है। इसके अलावे वायु के साथ सिस्टम में मॉयस्चर प्रवेश करता है जिससे प्रचालन सुस्त हो जाता है।

हाइड्रॉलिक ऑपरेटिंग च्यूट में सिलिंडर, इलेक्ट्रिक मोटर, हाइड्रॉलिक पम्प, कंट्रोल वाल्व एवं उच्च प्रेशर हाइड्रॉलिक हॉजेज होते हैं। सिरटम में जल प्रवेश एवं लिकेज की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार यह सिस्टम काफी शक्तिशाली एवं सुचारु प्रचालन एवं लगाने के लिए भूमिगत में कम स्थान की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त लाभों को देखते हुए हाइड्रॉलिक की तरह संचालित च्यूट को लगाने के लिए कई बार ट्रायल किया गया। हाइड्रॉलिक सिस्टम को स्थानीय इकाईयों में च्यूट के नजदीक लगाया गया है और इससे प्रचालन में सिंगल सिलिंडर की भांति बहुत कम बिजली की खपत होती है। सिरटम में कुछ सुधार करने के पश्चात् हाइड्रॉलिक संचालित च्यूट, डब्ल्यू-10 स्टोप के चौथे तल में अच्छा कार्य कर रहा है। सुचारु प्रचालन होने के

कारण अयस्क के स्पीलेज में कमी आई और ऊर्जा को समुचित बचत होती है।

ग. तुरामडीह प्लांट के प्रथम चरण वर्गीकरण विलोपन में मिल ग्राइंडिंग के क्लोज सकिट ऑपरेशन में सुधार

2009 में आरंभ हुए तुरामडीह प्लांट के प्रचालन चक्र के दो चरण थे। रॉड एवं बॉल मिल स्लरी को कॉमन सम्म में डिस्चार्ज किया गया तथा फर्टी स्ट्रेज साइक्लोन में पंप कर दिया गया। प्रथम चरण साइक्लोन का ओवरफ्लो थिकनर में भेजा गया एवं अन्डरफ्लो को अलग सम्म में जमा किया गया। इस सम्म से स्लरी को पम्प द्वारा द्वितीय चरण साइक्लोन में आगे विभाजन के लिए भेजा गया। द्वितीय चरण से ओवरफ्लो को भी थिकनर में भेजा गया एवं अन्डरफ्लो को बॉल मिल में भेजा गया।

इस प्रक्रिया में यह पाया गया कि कणों के आकार काफी उत्कृष्ट थे (>90%-200 मेश साइल)। ये फाइन अवक्षेपण प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे और आशा से अधिक अवक्षेपण हानि हो रही थी।

फाइन उत्पन्न होने की समस्या को ग्राइंडिंग के प्रत्येक बिन्दु पर अध्ययन किया गया। विभिन्न मानकों के सम्पूर्ण अध्ययन के पश्चात् एवं फाइन के आकारों के विश्लेषण के बाद, द्वितीय चरण साइक्लोन को हटाने का निर्णय लिया गया एवं ले-आउट में कुछ सम्बंधित परिवर्तन किया गया। द्वितीय चरण साइक्लोन हटाने के बाद, प्रथम चरण से नीचे बहाव को सीधे बॉल मिल में भेजा गया।

उपर्युक्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप (i) फाइन का कम उत्पन्न हुआ जिससे उच्च प्रतिप्राप्ति हुई (ii) नजदीकी प्रोसेसिंग मार्ग से बेहतर पर्यवेक्षण हुआ और अनुसंधान में कमी आई (iii) एक पम्पिंग सिस्टम को हटाने से ऊर्जा बचत हुआ।

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-IV

प्रशिक्षण पर प्रतिवेदन

यूसिल में प्रशिक्षण व्यवस्था-सम्पूर्ण दृष्टिकोण

प्रशिक्षण का उद्देश्य:

यूसिल में हमारे अनुभव यह बताते हैं कि अच्छे हांचागत, कुशल विकास कार्यक्रम, साइट-विशिष्ट क्षेत्रों के ज्ञान, विभिन्न वातावरणों में हस्तांतरण सुविधा के सर्वोत्तम आदर्श होते हैं।



हमारे प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को लाभदायक ज्ञान प्रदान करना है, जैसा कि हम महसूस करते हैं और अन्य विधि अपनाई जाती है, चाहे कम्प्यूटराइज्ड मल्टीमीडिया टेक्नीक के माध्यम से, आपसी विमर्श सत्र अथवा पारंपरिक "चॉक एण्ड टॉक" विधि से, यदि अन्तर्गतता उचित समझदारी प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों/प्रशिक्षणार्थियों को सूचना प्रदान करना हो। हमारे विभिन्न प्रशिक्षण को समय के साथ अनुभव प्राप्त हुआ है, जैसे कि हमारा लक्ष्य अशिक्षित कर्मचारियों से लेकर उच्च शिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना है, जब तक सुविधाहीन जनजाति हमारे पड़ोस से प्रशिक्षित नहीं हो जाते। हमारे प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आसपास के लोगों में समझदारी बहाना, टोम वक एवं स्पष्ट भूमिका निभाना है।

तकनीक संरचना

हम सभी स्तर के कर्मचारियों एवं आसपास के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। विशिष्ट संरचना, विभिन्न आवश्यकता आधारित प्रत्येक श्रेणियों के लिए तैयार करती है।

कामगार प्रशिक्षण संरचना - हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र समूह सभी कामगार प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय हब है और सभी इकाइयों से सम्बंधित कार्यकलापों से सम्बद्ध है। हमारे पास तीन प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं अर्थात् 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन। कक्षाएं इंटरैक्टिव होती हैं और परीक्षाएं प्रत्येक मॉड्यूल के उपरांत संचालित होती हैं। प्रशिक्षक की

आवश्यकता और अपनाई जाने वाली मापदण्ड आधारित जिस पर सेवेशन इंजीनियर से प्राप्त सामग्री पर आधारित होता है, जहाँ पर व्यक्ति कार्य कर रहा होता है। इसका पालन व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा प्रारंभिक ज्ञान स्तर को जाँच कर पता लगाया जाता है। रिफ्रेश एण्ड रीऑरियंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्ञान के स्तर को अद्यतन बनाये रखने के लिए एवं प्रचालन के विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति के कौशल को बनाये रखने के लिए प्रचालनरत क्षेत्रों/अनुरक्षण/कॉटन तकनीकी सेवाओं आदि से व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में रोजगार सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, अग्नि, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाता है। सभी ठेकेदार कामगारों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, जब कि व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी एवं पर्यवेक्षक के अलावे विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में निर्देश/प्रशिक्षण वरिष्ठ अभियंता, कार्मिक प्रबंधकों, चिकित्सकों एवं अग्निशमन अधिकारियों द्वारा दिया जाता है।

यूसिल अधिकारियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण- हमारे पास प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र (एम.टी.सी.) है, जहाँ पर हमारे अधिकारियों के लिए नियमित रूप से परस्पर ज्ञान सत्र, व्याख्यान आदि आयोजित किये जाते हैं। पूरे सत्रावधि में सुविधाजनक शिक्षण माहौल की आवश्यक सुविधा एम.टी.सी. के पास है। विस्तृत रूप से भावी दृष्टिकोण से प्रशिक्षण के स्रोत, प्रौद्योगिकी विकास, व्यक्तित्व विकास/अन्तर व्यक्तित्व कौशल/प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन एवं एच.आर.डी. है। व्याख्यान इन-हाउस वरिष्ठ अधिकारियों एवं बाहरी व्याख्याताओं द्वारा दिया जाता है। सत्र एवं अधिकारियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम की आवश्यकता के बारे में निर्णय, संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं सम्बंधित अधिकारियों द्वारा लिया जाता है।

विशिष्ट प्रशिक्षण मापदण्ड- संकटकालीन उपकरण या अधिकारियों के सिस्टम पर सभी प्रकार के विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण की स्थिति में, जहाँ पर बाहरी विशेषज्ञ आमंत्रित किये जाते हैं अथवा कार्यनिर्माताओं पर विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त किये जाते हैं, सम्बंधित प्रशिक्षुओं को इन-हाउस अनुभवी अभियंता के द्वारा उपकरणों पर सक्षम प्रशिक्षण दी जाती है ताकि प्रशिक्षु को विशेषज्ञ के व्याख्यान/दौरे के पहले मूलभूत जानकारी प्राप्त हो सके। इस रणनीति को अपनाकर हमने पाया है कि प्रशिक्षु बातों को अच्छी तरह समझ पाते हैं और आशानुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं।

यूसिल में प्रशिक्षण संरचना

अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रशिक्षण: सभी अधिकारियों/पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण हमारे नरवापहाड़ स्थित इकाई के प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किये जाते हैं।

प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र का भौतिक संरचना:

आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से युक्त दो वातानुकूलित व्याख्यान हॉल है जिसमें 45 एवं 52 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है।

एक सम्मेलन कक्ष ग्रुप वार्ता एवं बैठकों के लिए है।

अन्य सुविधाएं जैसे डायनिंग हॉल, कंप्यूटर एवं इंटरनेट इत्यादि हैं।

सभी पदाधिकारियों एवं प्रशिक्षण प्रदर्शन के लिए 2 कमरे वाले एम.टी.सी. ऑफिस।

संकाय

इन-हाउस व्याख्याता- हमारे इन-हाउस व्याख्याताओं का चयन कम्पनी के विशिष्ट क्षेत्रों में जानकारी रखनेवाले विभिन्न क्षेत्र के वरिष्ठ अभियंताओं एवं प्रबंधकों में से होता है।

बाहरी व्याख्याता- बाहरी व्याख्याता अधिकांशतः प्रोफेशनल एवं शिक्षाविदों का स्थानीय उद्योगों एवं संस्थानों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, उषा मार्टिन, आई.आई.टी. (खड़गपुर), एक्स.आई.एस.एस., एक्स.आई.एम., आई.एस.टी.डी. (शॉफ्ट स्कील डेवलपमेंट के लिए) आदि लोगों का चयन किया जाता है। आमंत्रित उच्चाधिकारियों, अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों, जो बी.ए.आर.सी., डी.ए.ई., सी.ए.आई.आर., एफ.आर.आई. (वन अनुसंधान), बी.एच.यू. आदि व्याख्यान दिया जाता है। विभिन्न कंपनियों एवं उत्पाद/उपकरण विक्रेताओं आदि कम्पनी के साथ आपसी विचार विमर्श कर अपने उत्पाद विकास/टेक्नोलॉजी इनोवेशन इत्यादि के बारे में वार्ता एवं प्रस्तुतीकरण देते हैं।

प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र (एम.टी.सी.)/प्रशासन

एस.टी.सी./प्रशासन के सभी कार्यकलापों की देखभाल एवं अभिशासन अभ्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नामित उच्च स्तरीय समिति द्वारा को जाती है।

समिति में निम्नलिखित अधिकारी हैं:

- निदेशक (तकनीकी)- अध्यक्ष
 - महा प्रबंधक (सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्रशिक्षण)
 - महा प्रबंधक (तकनीकी सेवा एवं परियोजना)
 - महा प्रबंधक (कॉरपोरेट प्लानिंग)
 - उप महा प्रबंधक (औद्योगिक अभियंत्रण)-को-ऑर्डिनेटर
- दैनिक कार्यकलाप का समन्वयन उप महा प्रबंधक (औद्योगिक

अभियंत्रण) द्वारा किया जाता है, जो प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और उनके साथ सदस्यों की एक समिति रहती है।

कामगार प्रशिक्षण : खान के कामगार को विशिष्ट प्रशिक्षण नरवापहाड़ स्थित ग्रुप व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाता है एवं प्रत्येक खान में स्थित सम्बंधित सम्बंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार प्लांट के कर्मचारियों को प्रशिक्षण सम्बंधित प्लांट प्रशिक्षण सुविधाओं द्वारा दिया जाता है।

क) **आधारभूत संरचना:** सभी कामगार व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में बैठने की पर्याप्त क्षमता है। प्रशिक्षण व्याख्यान के माध्यम से श्याम/स्वेत बोर्ड, पी.पी.टी. प्रोजेक्शन, टेबल्ट मैनुअल्स एवं मॉडल द्वारा होता है। रोजगार प्रशिक्षण को कुछ खान व्यवसायों, जैसे: ड्रिलिंग, ब्लैस्टिंग, पाइप-फिटिंग आदि भी शामिल है।

संकाय: कक्षाएं सम्बंधित प्रशिक्षण अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा कुछ विशेष कक्षाएं सुरक्षा अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, पर्यावरणीय अभियंताओं, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों द्वारा संचालित की जाती है।

संगठनात्मक लक्ष्य/व्यवसाय योजना के साथ प्रशिक्षण के लिए उठाये गए कदम:

हमारे संस्थान में रीब्रस्ट एम.आई.सिस्टम अपनाया गया है जहाँ पर सम्बंधित सूचना मॉनीटर किया जाता है एवं उच्च प्रबंधन से यथावश्यक दिशा निर्देश दिया जाता है। ओ.एच. एण्ड एस.प्रशिक्षण सिस्टम प्रबंधन के समीक्षा बैठकों में प्राप्त किया जाता है। यह बैठक उच्च प्रबंधन द्वारा संचालित किया जाता है। समीक्षा के आधार पर प्रबंधन प्राप्त यथावश्यक निर्देश देती है, जो आने वाले परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित श्रम शक्ति को आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए होती है। यह कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु सलाह देता है जिसका संचालन मुख्य रूप से अगर कोई उद्देश्य हो और संस्था के लक्ष्य में परिवर्तन किया जा रहा हो अथवा अगर कोई वैधानिक आवश्यकता हो।

प्रशिक्षण के केन्द्रीय क्षेत्र- श्रेणी

प्रशिक्षण के केन्द्रीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है:

- विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण
- अपने विभाग/अनुभाग के कार्यकलापों का ज्ञान
- कार्य निष्पादन आदि के प्रति प्रवृत्ति का विकास
- विशिष्ट कार्य के संदर्भ में संचार का कौशल, मौखिक अथवा लिखित

ड) प्रशिक्षण के बारे में प्रेरणात्मक तकनीक

च) प्रौद्योगिकी उन्नयन/उन्नति सहित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण।

इस प्रकार उपर्युक्त मापदण्डों पर एवं लेवल एवं कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र एवं प्रशिक्षण का केंद्र किंदू तकनीकी प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रशिक्षण, सामान्य प्रबंधन, सामग्री एवं वित्तीय प्रशिक्षण, शॉफ्ट कोशल प्रशिक्षण आदि है।

प्रशिक्षण आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु नीति एवं प्रणाली

कामगार के लिए: प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं स्वरूप, व्यक्ति जहाँ पर कार्य करता है वहाँ के सेक्शन इंजीनियर से प्राप्त विषय वस्तु पर आधारित होता है। उसका पालन व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा प्रारंभिक जाँच के बाद किया जाता है जिससे कि उसके ज्ञान स्तर का पता लगाया जा सके।

अधिकारियों के लिए: अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता इन-हाउस में दिये जाने वाले प्रशिक्षण का निर्णय संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं सम्बंधित अधिकारी द्वारा लिया जाता है। अगर अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए बाह्य सुविधा (भारत या विदेश में) तैनात किया जाता है तो, सत्र की विषय वस्तु एवं प्रशिक्षण के लिए अधिकारी की उपयुक्तता में उसका सम्पूर्ण निष्पादन शामिल कर उच्च प्रबंधन द्वारा निर्धारण किया जाता है। मूल उद्देश्य, अधिकारी को प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग करना होना चाहिए जिससे प्रशिक्षण पश्चात् संस्थान के उत्पादकता में सुधार हो सके।

प्रशिक्षण मूल्यांकन नीति एवं प्रणाली

प्रशिक्षण को विषय वस्तु एवं मूल्यांकन मैकेनिज्म: सभी दिये जाने वाले प्रशिक्षणों के लिए कामगारों एवं अधिकारियों सहित प्रशिक्षण पूर्व एवं प्रशिक्षण पश्चात् विषय वस्तु मैकेनिज्म को शामिल किया गया है। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र अधिकारी अथवा प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र के प्रधान, प्रशिक्षण आरंभ होने के पहले प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं एवं प्रशिक्षु को यदि कोई विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उसके बारे में पूछता है। इसी प्रकार सत्र समाप्ति के पश्चात् प्रशिक्षु (मुख्य रूप से अधिकारियों के मामले में) फीडबैक फार्म को भरता है और (कामगार के मामले में) सुधार के लिए सुझाव सहित सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करता है। यह हमारे प्रशिक्षण के निर्धारण का मानक है जो कि सतत आवश्यकता आधारित उपकरण के रूप में सुधार के लिए काम करता है। इन मूल्यांकनों के अलावे जो मुख्य रूप से सुधार से सम्बंधित है, हमारी मूल्यांकन नीति सम्पूर्ण निर्धारण के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करती है: सक्षमता निर्धारण, कार्य रोटेशन में निष्पादन एवं वार्षिक निष्पादन समीक्षा।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यप्रणाली/शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है

प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रकार के प्रणाली का इस्तेमाल निम्नलिखित मापदण्डों पर निर्भर करता है: किसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है-गैर कार्यकारी नये कर्मचारी, अनुभवी कर्मचारी अथवा कार्यकारी अधिकारी। प्रशिक्षण के लिए आर्बिट्ररी अवधि एवं प्रशिक्षण स्रोत एवं उपलब्ध सामग्री।

कामगारों के लिए सामान्य रूप से इस्तेमाल किये जाने वाले विशिष्ट प्रणाली: इंस्ट्रक्टर-लोड ब्लैंक बोर्ड अथवा सफेद बोर्ड प्रशिक्षण सबसे प्रचलित प्रशिक्षण का तरीका अपनाया जाता है। तथापि प्रशिक्षक कार्य से संबंधित विडियो भी दिखाता है जिससे कि उचित समझदारी विकसित किया जा सके। दूसरा तरीका जो अपनाया जाता है वह कहानी कहकर एवं वास्तविक घटना का केस अध्ययन द्वारा किया जाता है। इससे कामगार प्रशिक्षण के साथ आसानी से जुड़ जाते हैं और प्रायः लम्बी लाभदायक चर्चा भी होती है।

कार्यकारी अधिकारियों के लिए तरीका: ग्रुप प्रशिक्षण सत्र के लिए परम्परागत पावर प्वाइंट का प्रस्तुतिकरण अधिकारियों के लिए अपनाया जाता है। विस्तृत रूप से समझदारी के लिए संबंधित विडियो का भी प्रयोग किया जाता है। सर्किटों, डायग्राम आदि के बारे में बताने के लिए सफेद बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है।

इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात् दिनों/कार्यक्रम की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या (कार्यकारी एवं गैर कार्यकारी) कर्मचारियों के लिए :-

विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण के क्षेत्र	श्रम दिवसों की संख्या
मानव संसाधन विकास	106
प्रौद्योगिकी विकास	355
वैयक्तिक विकास/ अंतराकर्मिक	
कोशल/ प्रबंधन विकास	232
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	169
पर्यावरण प्रबंधन	141
कुल श्रम दिवस	1003

विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 में इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम

कर्मचारियों का स्तर	प्रशिक्षितों की संख्या
वरिष्ठ प्रबंधन / मध्यम प्रबंधन (ग्रुप-ए अधिकारी)	176
अधिकारी (ग्रुप-बी)	184

संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि

अवधि	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या			
	इन हाउस		बाहरी एजेंसी	
	इन हाउस फैकल्टी		2011-12	2012-13
7 दिनों तक	11	25	7	17
7-15 दिनों तक	4	2	-	2
15-30 दिनों तक	-	1	-	-
कार्यक्रमों की संख्या	15	28	7	19

गैर कार्यकारी अधिकारियों के लिए

2012 में खान के कामगारों का व्यवसायिक प्रशिक्षण

शासनात्मक आवश्यकता - सभी कामगार / वर्ष का 20%

दिए गए वास्तविक प्रशिक्षण का प्रतिशत - 2012 में सभी कामगारों का 26.8%

2012 में ठेकेदार के कर्मचारियों का प्रशिक्षण - 100%



2012 में मिल (प्रोसेस प्लांट) में कामगारों का प्रशिक्षण

कामगार : 176, ठेकेदार कामगार 79, कुल : 255 (जादुगोड़ा मिल)

(मुख्य प्रशिक्षण विषय : औद्योगिक एवं विकिरण सुरक्षा, आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण)

प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजे गए कर्मचारियों की संख्या (भारत / विदेश एवं कार्यकारी / गैर कार्यकारी)

क्र. सं.	प्रशिक्षण के लिए कंपनी के बाहर भेजे गए कर्मचारी (भारत)	संख्या
1.	ग्रुप-ए अधिकारी (कार्यकारी)	100
2.	ग्रुप-बी अधिकारी (कार्यकारी)	10
3.	कामगार (गैर-कार्यकारी) प्रशिक्षण के लिए कंपनी से बाहर भेजे गए कर्मचारियों की संख्या (विदेश)	2
4.	ग्रुप-ए अधिकारी (कार्यकारी)	1
	कुल	113

अधिकारियों के लिए कंपनी में कार्यक्रमों की संख्या (श्रेणीबद्ध)

प्रशिक्षण के क्षेत्र	श्रम दिवसों की संख्या
मानव संसाधन विकास	106
प्रौद्योगिकी विकास	355
वैयक्तिक विकास/ अंतराकर्मिक	
कोशल/ प्रबंधन विकास	232
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	169
पर्यावरण प्रबंधन	141
कुल श्रम दिवस	1003

विगत वित्तीय वर्ष 2012-13 में इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम

कर्मचारियों का स्तर	प्रशिक्षितों की संख्या
वरिष्ठ प्रबंधन / मध्यम प्रबंधन (ग्रुप-ए अधिकारी)	176
अधिकारी (ग्रुप-बी)	184

प्रमुख विशिष्टताएँ

अनुलग्नक-I
(लाख रुपयों में)

	विवरण	2012-13	2011-12	2011-12 की तुलना में वृद्धि/(कमी)	2011-12 की तुलना में वृद्धि/(कमी) % में
(क)	परिचालन परिणाम				
	टर्नओवर	82,716.45	68,218.88	14,497.57	21.25
	सकल आय	85,512.28	70,728.47	14,783.81	20.90
	सकल व्यय	71,108.37	62,163.62	8,944.75	14.39
	सकल लाभ	14,421.21	8,626.69	5,794.52	67.17
	कर पश्चात् शुद्ध लाभ	9,078.74	6,484.24	2,594.50	40.01
(ख)	वर्ष के अंत की वित्तीय स्थिति				
	शेयर पूँजी	143,961.78	143,961.78	-	-
	आरक्षित एवं अधिशेष	35,697.21	28,741.94	6,955.27	24.20
	नियोजित पूँजी	45,977.24	65,470.37	(19,493.13)	(29.77)
	निवल मालियत	181,782.46	172,703.72	9,078.74	5.26
	सकल निरुद्ध परिसंपत्ति	145,357.93	135,089.50	10,268.43	7.60
	मूल्य-ह्रास	64,417.68	56,445.62	7,972.06	14.12
	शुद्ध निरुद्ध परिसंपत्ति	80,940.26	78,643.89	2,296.37	2.92
	सम्पत्ति सूची	8,119.25	7,727.87	391.38	5.06
(ग)	लाभकारिता तथा अन्य अनुपात				
	(i) प्रतिशतता :				
	विक्रो में सकल लाभ/(हानि)	17.43	12.65		
	विक्रो में शुद्ध लाभ/(हानि)	10.98	9.51		
	निवल मालियत में सकल लाभ/(हानि)	7.93	5.00		
	निवल मालियत में शुद्ध लाभ/(हानि)	4.99	3.75		
	नियोजित पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	31.37	13.18		
	नियोजित पूँजी में शुद्ध लाभ/(हानि)	19.75	9.90		
	इकाई पूँजी में सकल लाभ/(हानि)	10.02	5.99		
	विक्रो में माल सूची	9.82	11.33		
	नियोजित पूँजी में विक्री	179.91	104.20		
	(ii) अनुपात में				
	चालू परिसंपत्तियों की चालू देयताएं	0.58:1	0.69:1		
	तत्काल परिसंपत्तियों की चालू देयताएं	0.48:1	0.57:1		

कम्पनी की वित्तीय स्थिति

अनुलग्नक-II

31 मार्च, 2012 तथा 2011 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2012-13	2011-12	2011-12 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1	कम्पनी का स्वामित्व			
(क)	अचल परिसम्पत्ति			
	सकल ब्लॉक	145,357.93	135,089.50	10,268.43
	घटाया : मूल्य ह्रास	64,417.68	56,445.62	7,972.06
	शुद्ध ब्लॉक	80,940.25	78,643.88	2,296.37
	दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	5,394.34	6,553.75	-
	प्रगतिशील पूँजीगत कार्य/स्टॉक	145,681.36	120,724.11	24,957.25
	उप-योग (क)	232,015.95	205,921.74	26,094.21
(ख)	चालू परिसम्पत्तियाँ			
(i)	व्यापाराधीन स्टॉक, भण्डार, प्रत्यक्ष माल, फुटकर देनदारो, उपार्जित ब्याज	17,181.27	11,858.43	5,322.83
(ii)	नकद या वस्तु के रूप में या वस्तु से प्राप्त मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	8,958.53	7,602.88	1,355.65
(iii)	नकद तथा बैंक में जमा शेष राशि	20,141.03	24,661.26	(4,520.23)
	उप-योग (ख)	46,280.82	44,122.58	2,158.24
	योग - 1 (क + ख)	278,296.77	250,044.32	28,252.45
2	कम्पनी का ऋण			
(क)	माल, सेवाओं, चालू देनदारियों तथा अन्य प्रावधानों के लिए	90,589.75	69,635.11	20,954.66
(ख)	कम्पनी की शुद्ध मालियत			
	अंश पूँजी	143,961.78	143,961.78	-
	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	35,697.21	28,741.94	6,955.27
	उप-योग (ख)	179,658.99	172,703.72	6,955.27
(ग)	आस्थायित कर दायित्व (ग)	8,048.03	7,705.51	342.52
	योग 2 (क + ख + ग)	278,296.77	250,044.32	28,252.45

कम्पनी की आय तथा व्यय का लेखा

अनुलग्नक-III


31 मार्च, 2013 तथा 2012 का संक्षिप्त तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

	विवरण	2012-13	2011-12	2011-12 की तुलना में वृद्धि/(कमी)
1	कम्पनी की आय			
	(क) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्रों के अधिग्रहण से	82,090.80	67,667.19	14,423.61
	(ख) गौण उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)	265.20	506.16	59.04
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	2,856.28	2,555.11	301.17
	उप-योग	85,512.28	70,728.46	14,783.82
	(घ) अन्तिम स्टॉक में वृद्धि/(हास)	53.67	(351.01)	404.68
	योग (1)	85,565.95	70,377.45	15,188.50
2	कम्पनी द्वारा भुगतान तथा व्यवस्था			
	(क) उपभुक्त सामग्रों का मूल्य	6,347.12	4,910.10	1,437.02
	(ख) कर्मचारी हित में खर्च	21,988.32	18,572.18	3,416.14
	(ग) वित्तीय लागत (ब्याज पर व्यय)	2,803.87	1,817.43	986.44
	(घ) मूल्य हास और ऋणशोधन पर व्यय	7,795.47	7,183.90	611.57
	(ड.) अन्य व्यय	32,124.15	29,328.95	2,795.20
	योग (2)	71,058.93	61,812.56	9,246.37
3	समायोजन पूर्व कम्पनी का सकल लाभ (1-2)	14,399.69	8,564.85	5,834.84
4	जिसका समायोजन निम्नानुसार किया गया			
	पूर्वकालिक समायोजन	17.30	61.84	(44.54)
	कर पूर्व लाभ	14,416.98	8,626.69	5,790.29
	घटाया : आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	5,338.24	2,142.45	3,195.79
	कर पश्चात् लाभ	9,078.74	6,484.24	2,594.50
	विगत वर्ष का लाया गया अधिशेष	19,662.90	16,692.28	2,970.62
	विनियोग के पूर्व अधिशेष (4 क)	28,741.64	23,176.52	5,565.12
	विनियोजन			
	प्रस्तावित सामान्य आरक्षित निधि	1,815.00	1,625.00	190.00
	प्रस्तावित लाभांश	1,815.00	1,625.00	190.00
	प्रस्तावित लाभांश पर कर	308.46	263.62	44.84
	उप-योग (4ख)	3,938.46	3,513.62	424.84
	अधिशेष को तुलनपत्र में ले जाया गया (4क-4ख)	24,803.18	19,662.90	5,140.28


आय का वर्गीकरण

मूल्य रुपय में



- UG Os की बिक्री/पूरी रु. 820.91 करोड़ (96.00%)
- उत्पादों की बिक्री रु. 5.65 करोड़ (0.66%)
- व्याज रु. 20.06 करोड़ (2.35%)
- अन्य आय (भंडार में वृद्धि सहित) रु. 8.50 करोड़ (0.99%)


व्यय का वितरण




- कर्मचारियों का भुगतान 219.88 करोड़ (26.05%)
- परमाणु एवं अनुसंधान 119.26 करोड़ (15.06%)
- कच्चा माल, स्टोर्स एवं स्वेगर्स 128.52 करोड़ (15.21%)
- कर्पाई 72.25 करोड़ (8.53%)
- हास 75.72 करोड़ (9.41%)
- अन्य व्यवसायिक व्यय 65.84 करोड़ (7.78%)
- लाभ सुरक्षा रखा गया 89.78 करोड़ (10.72%)
- लाभांश 18.15 करोड़ (2.14%)
- कर (आस्थगित कर एवं लाभांश कर सहित) 53.38 करोड़ (6.00%)




आय में वृद्धि




नियोजित पूंजी में वृद्धि



निवल मालियत (नेटवर्थ)



सकल तथा शुद्ध परिसंपत्ति



लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्य गण

यूरैनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

- हमने यूरैनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 31 मार्च, 2013 का संलग्न तुलन-पत्र का अंकेक्षण किया जिसका केश फ्लो विवरण तथा इसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार-संग्रह एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

वित्तीय विवरण हेतु प्रबंधन का दायित्व

- प्रबंधन के दायित्व के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना जिसमें वित्तीय संपत्ति का सही एवं उचित विचार का प्रकटीकरण, वित्तीय निष्पादन एवं केश फ्लो विवरण का संदर्भ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3 सी) में उल्लिखित एकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन किया गया है। इस दायित्व में अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं आंतरिक नियंत्रण से संबंधित तैयारी वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण जिसमें सही एवं उचित विचार दिया गया है एवं सामग्री संबंधित गलत विवरण को शामिल नहीं किया गया है, चाहे इसमें जालसाजी या गलती हो।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व है कि लेखांकन के आधार पर वित्तीय विवरण पर हम अपना विचार प्रकट करें। हमने लेखा परीक्षण भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा स्वीकृत मानक लेखा परीक्षण पद्धति के अनुसार किया।
- लेखा परीक्षकों की राशि के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रिया को अपनाया गया है और वित्तीय विवरण में इसका प्रकटीकरण किया गया है। अपनायी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणों में प्रस्तुतियों के गलत विवरण के जोखिम का निर्धारण भी शामिल किया गया है, चाहे जालसाजी या गलती से हो। इन जोखिमों का निर्धारण करने में लेखा परीक्षक कंपनी के आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता

और वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण में लेखा-परीक्षा प्रक्रिया को भी अपनाता है जो कि परिस्थितियों के अनुसार उचित है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल लेखांकन नीतियों का उचित मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा तैयार किया गया लेखांकन आकलन एवं साथ ही साथ वित्तीय विवरण के सभी पहलुओं के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल रहता है।

- हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा जो लेखा-परीक्षण किया गया है वह हमारे विश्वासों का न्याय संगत आधार प्रस्तुत करता है।

मामले की अवधारणा

- हम बिना अपनी राय दिये इन मामलों को ओर ध्यानाकृष्ट करते हैं:

क) वर्ष 2010-11 यूरैनियम सांद्र का लागू दर, जैसा कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का दर भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निश्चय नहीं किया गया है, टिप्पणी -18, पैरा का टिप्पणी लेखा क्षतिपूर्ति का राजस्व पहचान से संबंधित।

ख) लेख पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या 26.2 (क) से संबंधित जादूगोड़ा में भांटिन सहित 1312.62 एकड़ खनन पट्टे का कार्य लंबित है तथा मुहुलडोह का 288.20 एकड़ जमीन एवं 31.77 एकड़ अतिरिक्त जमीन तुरामडीह के लिए, 290.45 हैक्टेयर जमीन के.पी.एम. में, 1337.62 एकड़ जमीन लाम्बापुर एवं गोगी में 39.13 हैक्टेयर जमीन का खनन पट्टा अभी प्राप्त किया जाना है।

ग) लेख पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या-26.2 से संबंधित राज्य सरकार/निजी पार्टी से अधिग्रहित 1548.09 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 1517.59 लाख रु. है, का डीड ऑफ कन्वेनेन्स लंबित है।

घ) लेख पर अतिरिक्त टिप्पणी संख्या-26.2 (ग) से संबंधित मुसावनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (आई.सी.सी.) की 3 एकड़ जमीन के उपयोग का अनुबंध नहीं किया गया।

ड) कंपनी भारत सरकार को बंद तुरामडीह परियोजना की संपत्ति की उस सीमा तक के लिए 111.60 लाख रुपये का शेयर जारी नहीं की है, जैसा कि भारत सरकार ने जून, 2003 में निर्देश दिया था।

विचार :

- हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार उक्त लेखा, उसके साथ दी गई कंपनी अधिनियम के द्वारा प्रांगी गई सूचनाओं को अपेक्षित रूप में उपलब्ध कराता है तथा भारत में स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसार एक सच्चा एवं स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है-

क) जहाँ तक तुलन-पत्र का सम्बंध है, वह 31 मार्च, 2013 तक कंपनी के मामलों से सम्बंधित है।

ख) जहाँ तक लाभ-हानि लेखा के सम्बंध में है, वह कंपनी के लाभ इसी तारीख तक का है।

ग) जहाँ तक केश फ्लो विवरण के सम्बंध में है वह भी कंपनी के इसी तारीख तक का है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

- जैसा कि अधिनियम की धारा 227 की उप-धारा (4ए) के सम्बंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कंपनी (अंकेक्षण रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") द्वारा मांगा गया, हम परिशिष्ट में आदेश के पैरा 4 तथा 5 में वर्णित मामले पर बयान देते हैं।

- जैसा कि "अधिनियम" की धारा 227(3) द्वारा अपेक्षित है, हम सूचना देते हैं कि:

क) हमें वे सारी सूचनाएँ एवं व्याख्याएँ उपलब्ध कराई गई हैं जो हमारे सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे परीक्षण के लिए जरूरी थे।

ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून के अनुसार उचित लेखा खाते रखे गये हैं जैसा कि हमें इन खातों की जाँच के दौरान देखने को मिला।

ग) तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा केश फ्लो विवरण जिसका इस टिप्पणी में समावेश है लेखा-खाता के अनुसार है।

घ) हमारी राय में कंपनी को तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा केश फ्लो विवरण जिसका उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 उपधारा (3 सी) में उल्लिखित एकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करते हैं।

ड.) केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(जी) एवं विवरण के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होता है।

कृते तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सो

(सी.ए.सुशील कुमार तुलस्यान)
भागीदार

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23.08.2013

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को कम्पनी के लेखा पर हमारे सम दिनांक प्रतिवेदन के परिच्छेद 8 के अन्तर्गत लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक)

- I. (क) कम्पनी निश्चित परिसम्पत्तियों का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में चालू वर्ष में रख रही है।
- (ख) कम्पनी को अपनी सभी परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच कराने का कार्यक्रम है जो हमारी राय तथा कम्पनी के आकार एवं सम्पत्तियों की प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत है। परिसम्पत्तियों की जाँच में कोई भिन्नता नहीं पाई गई।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने अचल परिसम्पत्तियों के किसी भी भाग को नहीं हटाया है। जिससे कम्पनी को चालू संस्थान की स्थिति प्रभावित नहीं होती है।
- II. (क) जैसा कि हमें बताया गया, सभी सम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच वर्ष के दौरान स्वतंत्र पेशेवरों से उचित अन्तराल पर की गई।
- (ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं विवरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई वस्तुओं के जाँच की विधि कम्पनी के व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत एवं पर्याप्त है। हालाँकि नये स्थान पर शुरू की गई परियोजना विशेष रूप से तुलापल्ली में ज्यादा विस्तार एवं लगातार जाँच को जरूरत है।
- (ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं के अनुसार कम्पनी द्वारा अपनी सम्पत्तियों का अभिलेख उचित ढंग से रखा जा रहा है। प्रत्यक्ष जाँच के दौरान पाई गई भिन्नता को लेखा बही में उचित रूप में ठीक कर लिया गया है।
- III. हमें दी गई व्याख्याओं एवं सूचनाओं के अनुसार कम्पनी ने वैसी किसी कम्पनी फर्म या तीसरी पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है अथवा उनसे लिया है जिनका नाम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज है। तदनुसार, कम्पनी (लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथा संशोधित) के पैराग्राफ (3) (ख)(ग)(घ)(ड.) एवं (च) लागू नहीं होते।
- IV. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी को भण्डार, संयंत्र एवं मशीनरी, उपकरण तथा अन्य सम्पत्तियों के क्रय तथा सामानों की बिक्री के सम्बंध में आन्तरिक नियंत्रण पद्धति पर्याप्त है जो इस कम्पनी के आकार एवं व्यापार की प्रकृति के अनुकूल है। अपने अंकेक्षण के दौरान हमने आन्तरिक नियंत्रण की व्यवस्था में कोई बड़ी कमजोरी नहीं देखी। हालाँकि वर्क कान्टेक्ट के क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण को पुनः विचार की जरूरत है।
- V. हमें दी गई व्याख्याओं एवं सूचनाओं के अनुसार इस वर्ष में कोई लेनदेन नहीं हुआ जो अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किया जा सके।
- VI. कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों की उप धारा 58ए तथा 58ए के अन्तर्गत तथा आर.बी.आई. द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार कम्पनी ने सामान्य जन से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- VII. कम्पनी का अपना आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग है। कम्पनी का आन्तरिक लेखा परीक्षण इसके आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग तथा सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया जाता है। हमारी राय में कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सशक्त करने की जरूरत है एवं लम्बे समय से बकाया राशियों को शामिल कर विस्तारीकरण, पुनर्मिलान एवं उसका समायोजन करने की आवश्यकता है।
- VIII. केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा

209(1) (डो) के अन्तर्गत कम्पनी को अपने उत्पादों का लागत अभिलेख रखने के लिए विनिहित किया है। हमने व्यापक रूप से उपर्युक्त अभिलेखों का परीक्षण किया तथा हम अपना मत व्यक्त करते हैं कि निर्धारित अभिलेख एवं लेखा सुव्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं।

- IX. (क) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों का परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा कानूनी बकाया जिसमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्रोकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क सम्बंधित पदाधिकारों के पास जमा कराया जाता है। हमें बताया गया कि कर्मचारी राज्य बोमा इस कम्पनी में प्रयोज्य नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार बिक्री कर की वह बकाया राशि जो विवाद के कारण जमा नहीं की गयी वह इस प्रकार है :

कानून की प्रकृति	बकाया की प्रकृति	राशि (रु.)	यह मंच जहाँ विवाद विचार-धीन है	वर्ष
बिक्री कर अधिनियम	वाणिज्यिक कर	114.73	अर्थात्तीय प्राधिकारी	2002-03 से 2005-06

- X. वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी में कोई जमा हानि नहीं है। चालू एवं तुरंत समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।
- XI. चालू वर्ष में कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक को ऋण वापसी में कोई चुक नहीं की है और कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।
- XII. हमारे रिकार्डों की जाँच के आधार पर एवं हमें दी गई सूचना एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई ऋण और न पेशगी का अनुमोदन किया है चाहे वह शेयर की सुरक्षा के आधार हो अथवा डिबेंचर या प्रतिभूति के

आधार पर।

- XIII. हमारी राय में कम्पनी चिटफंड, निधि/मुच्युअल बेंनीफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश के प्रावधान की धारा 4(xiii) 2003 (यथासंशोधित) कम्पनी के ऊपर लागू नहीं है।

- XIV. हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी शेयर, सिक्युरिटी, डिबेंचर तथा अन्य निवेशों का व्यापार नहीं करती।

- XV. हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी दूसरे के द्वारा लिये गए ऋण पर कोई गारंटी नहीं दी है चाहे वह बैंक से लो गई हो या अन्य वित्तीय संस्थानों से।

- XVI. हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने चालू वर्ष में कोई मियादी ऋण नहीं लिया है।

- XVII. हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने अल्प अवधि के लिए कोई निधि नहीं बनायी है है जिसे लम्बो अवधि के लिए विनियोग किया गया हो।

- XVIII. हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार कम्पनी ने वर्तमान वर्ष में किसी कम्पनी/पार्टी को शेयर का प्रिफरेंसियल अलॉटमेंट नहीं किया है जिनका नाम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखी जाने वाली रजिस्टर में दर्ज होती है।

- XIX. हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार लेखा परीक्षक प्रतिवेदन अवधि के दौरान कम्पनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

- XX. वर्ष के दौरान कम्पनी ने पब्लिक इश्यू के द्वारा कोई राशि एकत्रित नहीं की है।



XXI कम्पनी बुक एवं रिकार्डों के परीक्षण के दौरान, भारत में प्रचलित लेखा परीक्षण के अनुसरण में लेखा परीक्षा किया गया है और हमारी जानकारी में तथा हमारे विश्वास एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्तमान वर्ष में कम्पनी द्वारा/कम्पनी पर किसी प्रकार का भोगा न तो देखा गया या रिपोर्ट किया गया, न ही प्रबन्धन द्वारा हमें इस प्रकार

की कोई सूचना दी गई है।

कृते तोड़ी तुलस्यान एण्ड क.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. 002180सी

(सी.ए. सुशील कुमार तुलस्यान)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23.08.2013

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनावे गए वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना कम्पनी प्रबंधन का दायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरण के बारे में भारतीय सनदी लेखापाल संरक्षण के व्यावसायिक संस्थान के निर्धारित मानक के तहत निष्पक्ष रूप से लेखा परीक्षा करने का हमारा दायित्व है यह उनके लेखा प्रतिवेदन दिनांक 23-08-2013 के द्वारा किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का अनुपूरक लेखा परीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ख) के अन्तर्गत किया है। अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा कार्यरत कागजातों को देखे बिना एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कम्पनी के प्रतिवेदनों द्वारा प्रारम्भिक पूछताछ एवं कुछ चुने गये कागजातों एवं लेखा रिकार्डों के आधार पर किया गया है।

मेरे द्वारा पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) सांविधिक लेखा परीक्षकों के संबंध में किसी प्रकार की ऐसी विशेष बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
नियंत्रक
ह./-

अत्रेयी दास
मुख्य निदेशक
मुख्य वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.09.2013

31 मार्च, 2013 की स्थिति का तुलन-पत्र

	टिप्पणी संख्या	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
(लाख रुपयों में)			
I. इक्विटी एवं देयताएँ			
1. अंशधारियों की निधियाँ			
(क) अंश पूँजी	1	143,961.78	143,961.78
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	35,697.21	28,741.93
2. गैर चालू देयताएँ			
(क) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	3	8,048.03	7,705.51
(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएँ	4	967.98	3,469.27
(ग) दीर्घकालिक प्रबंधन	5	2,983.60	2,315.99
3. चालू देयताएँ			
(क) अल्पकालीन उधार प्रकरण	6	47,834.93	26,553.39
(ख) व्यापार देय	7	3,860.79	2,548.33
(ग) अन्य चालू देयताएँ	8	26,268.68	29,468.20
(घ) अल्पकालीन प्रबंधन	9	8,673.77	5,279.92
कुल		278,296.77	250,044.32
II. परिसम्पत्तियाँ			
1. गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ			
(i) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10क	79,828.12	77,479.02
(ii) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	10ख	1,112.11	1,164.87
(iii) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	11	145,681.36	120,724.11
(ख) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	12	5,394.34	6,553.75
		23,2015.93	205,921.75
2. चालू परिसम्पत्तियाँ			
(क) माल सुर्ची	13	8,119.25	7,727.87
(ख) प्राप्तियोग्य व्यापार	14	8,958.53	2,753.41
(ग) नकद एवं बैंक जमा	15	20,141.03	24,661.26
(घ) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	16	8,128.94	7,602.88
(ङ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	17	933.09	1,377.15
		46,280.84	44,122.57
कुल		278,296.77	250,044.32
मालवपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
लेखे पर की टिप्पणियाँ	26		

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियाँ लेखे का एक अभिन्न अंग हैं।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है।

कृते तोड़ी तुलस्थान एण्ड क.

सगरी लेखाकार

फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्थान)

भागीदार

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23.08.2013

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिवबी. एल. साबू
निदेशक (वित्त)एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का लेखा

	टिप्पणी संख्या	31.03.2013	31.03.2012
(लाख रुपयों में)			
I प्रचालन से प्राप्त राजस्व	18	82,656.00	68,173.35
II अन्य आय	19	2,856.28	2,555.11
III कुल राजस्व (I+II)		85,512.28	70,728.46
IV व्यय			
उपभुक्त सामग्री की लागत	20	6,347.12	4,910.10
तैयार माल एवं प्रगतिशील कार्य के समाप्तिसूची में परिवर्तन	21	53.67	351.07
कार्यचारियों के लाभ हेतु व्यय	22	21,988.32	19,149.07
वित्तीय लागत (व्याज पर व्यय)		2,803.87	1,817.43
मूल्य हारा एवं परिशोधन व्यय	10क तथा ख	7,795.47	7,183.90
अन्य व्यय	23	32,124.15	28,752.04
कुल व्यय (iv)		71,112.60	62,163.61
V अपवाद एवं असामान्य मदों एवं कर के पूर्व लाभ		14,399.68	8,564.85
VI असामान्य मदें			
जोड़ा : पूर्वकालिक समायोजन	24	17.30	61.84
VII कर पूर्व लाभ (V+VI)		14,416.98	8,626.69
VIII कर पर व्यय			
चालू कर		49,30.05	2,680.00
पूर्व वर्ष के लिए		65.68	(720.41)
आस्थगित कर		342.51	182.86
IX वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		9,078.74	6,484.24
X प्रति सांख्यिक शेष आय			
(1) बैरिज (रु.)		63.06	45.11
(2) डायल्यूटेड (रु.)		62.58	44.77
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
लेखे पर की टिप्पणियाँ	26		

उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियाँ लेखे का एक अभिन्न अंग हैं।

यह हमारे संलग्नक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है।

कृते तोड़ी तुलस्थान एण्ड क.

सगरी लेखाकार

फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुशील कुमार तुलस्थान)

भागीदार

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23.08.2013

बी. सी. गुप्ता
कम्पनी सचिवबी. एल. साबू
निदेशक (वित्त)एस. के. श्रीवास्तव
निदेशक (तकनीकी)डी. आचार्य
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

टिप्पणी-1

अंश पूँजी

(लाख रुपये में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत पूँजी		
प्रत्येक 1,000 रुपये के 2,50,00,000 साम्यिक अंश (गत वर्ष 2,50,00,000)	250,000.00	250,000.00
निर्गमित अधिवृत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
क) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,00,000 (गत वर्ष 1,00,000) साम्यिक अंश जिसका भुगतान 581/- रुपये तक नगद से भिन्न रूप में तथा 419/- रुपये नगद मूल्य लेकर किया गया।	1,000.00	1,000.00
ख) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,853/- (विगत वर्ष 1,853/-) साम्यिक अंश का आवंटन से भिन्न प्रतिदाय के लिये पूर्ण प्रदत्त में किया गया।	18.53	18.53
ग) प्रत्येक 1,000 रुपये के 1,42,94,325/- (विगत वर्ष 1,42,94,325/-) साम्यिक अंश जिसका नगद भुगतान किया गया।	142,943.25	142,943.25
कुल	143,961.78	143,961.78

1.1 बकाया साम्यिक अंश के आंकड़ों का पुनर्मिलान

वर्ष के आरम्भ में बकाया साम्यिक अंश	14,396,178	14,305,078
वर्ष के दौरान आवंटित साम्यिक अंश	-	91,100
वर्ष के अंत में बकाया साम्यिक अंश	14,396,178	14,396,178

1.2 14396175 संख्या में साम्यिक अंश भारत के राष्ट्रपति के नाम है।

टिप्पणी-2

आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(लाख रुपये में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
I आरक्षित निधि		
विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	2.11	2.11
II निवेश भत्ता उपयोग आरक्षित निधि		
विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	190.71	190.71
III सामान्य आरक्षित निधि		
विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	8,886.21	7,261.21
जोड़ा: लाभ एवं हानि खाते से स्थानान्तरण	1,815.00	1,625.00
	10,701.21	8,886.21
IV लाभ एवं हानि खाता		
विगत वित्तीय विवरण के अनुसार अधिशेष	19,662.90	16,692.28
जोड़ा: लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार अधिशेष	9,078.74	6,484.24
विनियोग पूर्व (I) अधिशेष	28,741.64	23,176.52
विनियोजन		
सामान्य आरक्षित निधि के हस्तांतरित	1,815.00	1,625.00
प्रस्तावित लाभोश	1,815.00	1,625.00
प्रस्तावित लाभोश पर कर	308.46	263.62
कुल विनियोजन (II)	3,938.46	3,513.62
विनियोजन (I-II) परचाट् अधिशेष	24,803.18	19,662.90
कुल (I से IV तक)	35,697.21	28,741.93

टिप्पणी-3

आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
क) आस्थगित कर देयताएँ		
अचल संपत्ति से सम्बंधित	9,120.04	7,838.93
ख) आस्थगित कर सम्पत्तियाँ		
1. अग्रदूत भण्डार के लिए प्रावधान	74.55	69.15
2. छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान	880.15	45.27
3. स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत क्षतिपूर्ति	1.69	9.76
4. खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	47.16	7.19
5. राजस्व को प्रभावित पूर्वप्रदत्त व्यय	2.19	2.05
6. सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	66.27	-
	1072.01	133.42
आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)	8,048.03	7,705.51

टिप्पणी-4

अन्य दीर्घकालिक देयताएँ

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
1. के.पी.एन. परियोजना के लिए सरकार से सहायक अनुदान	-	1,134.91
2. गौरी परियोजना के लिए ए.एम.डी. से प्राप्त निधि	-	1,432.71
3. ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को देयताएँ	967.98	901.65
कुल	967.98	3,469.27

टिप्पणी-5

दीर्घकालिक प्रावधान

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
1. कर्मचारियों के छुट्टी नकदोकरण हेतु प्रावधान	2,623.09	2,205.63
2. सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	221.77	-
3. खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	138.74	110.36
कुल	2,983.60	2,315.99

टिप्पणी-6

अल्प कालीन उधार ग्रहण

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
क) प्रतिभूत		
1. बैंक से ऋण (स्थिर ऋण के विरुद्ध अधिक निकासी)	18,569.27	15,293.39
ख) अप्रतिभूत		
1. बैंक से ऋण	19,256.23	11,260.00
2. अन्य संस्थानों से ऋण	10,009.43	-
कुल	47,834.93	26,553.39

6.1 अप्रतिभूत ऋण का विवरण

बैंकों/संस्थानों के नाम	ऋण के प्रकार	ऋण की सीमा	31.03.2013 तक बकाया ऋण
केनारा बैंक	नकद उधार	7500.00	2510.81
आईसीआईआई बैंक	नकद उधार	5000.00	5001.38
एसबीआई जेएम्ए	नकद उधार	30000.00	11744.04
न्यूक्लीयर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि।	ऋण	10000.00	10009.43
कुल			29265.66

टिप्पणी-7

व्यापार देय

	(लाख रुपयों में)	
	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
1. फुटकर देयदारियों		
क) एस.एस.आई. अण्डरटेकिंग	4.53	74.64
ख) अन्य	3,856.26	2,473.69
कुल	3,860.79	2,548.33

7.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थाओं से सम्बंधित प्रकटीकरण

विवरण		
31 मार्च को बकाया मूलधन	90.16	74.64
31 मार्च को उस पर प्राप्य एवं अदा ब्याज	4.24	3.88
आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया ब्याज	7.47	-
वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता को निर्धारित तिथि को भुगतान किया गया	1527.92	465.97
बिलंब अर्वाधिक के लिए प्राप्य एवं देय	4.24	3.88
31 मार्च को अदात उपचित एवं शेष ब्याज	4.53	7.76
बाद के वर्षों में शेष एवं देय ब्याज की राशि	4.53	7.76

7.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थाओं के बारे में प्रकटीकरण संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी-8

अन्य चालू देयताएँ

	(लाख रुपयों में)	
	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
1. बृक और ब्रुपट	160.69	807.67
2. ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को देयताएँ	17,753.10	22,565.09
3. कर्मचारियों एवं ए.ई.सी.एस. को देयताएँ	2,196.61	2,223.05
4. के.पी.एम. परियोजना के लिए सरकार से सहायक अनुदान	1,291.64	459.95
5. ए.एम.डी. से गोपी परियोजना के लिए प्राप्त निधि	1,687.56	300.00
6. सरकारी संस्थानों को देयताएँ	2,595.93	2,629.57
7. कर एवं शुल्क के लिए देयताएँ	407.27	320.33
8. अन्य व्यय हेतु देयताएँ	175.88	162.54
कुल	26,268.68	29,468.20

- वर्ष 1996 में कंपनी ने बन्द तुरामडीह परियोजना को परिसम्पत्ति को रेट्रोल रिजर्व पॉलिस् फोर्स (सीआरपीएफ) को 2322 लाख रुपये की राशि का हस्तांतरण किया था। तुरामडीह खान के पुनः खुलने पर परिसम्पत्तियों को वापस ले लिया। सीआरपीएफ द्वारा लिये गये 3467 रुपये की राशि के कुल बाब के बिलुद्ध 2500 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष 969 लाख रुपये शक्तिम लॉन्ग लेखा भुगतान में प्रावधित किया गया।
- भारत सरकार का 1110.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1160.60 लाख रुपये) जो बन्द तुरामडीह परियोजना को जमीन एवं अन्य परिसम्पत्तियों हैं, का इस्तमाल कंपनी कर रही है। भारत सरकार द्वारा सूचित मूल्य आधारित राशि 1110.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1110.60 लाख रुपये) का प्रावधान लेखे में किया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या 20/12 (1)/95-पीएसयू/180, दिनांक 18 जून 2003 द्वारा यथानिर्देशित परिसम्पत्तियों की सीमा तक कंपनी द्वारा भारत सरकार को शेरर जारी किया जाएगा।
- अनुसंधान गवेषण हेतु गरमाण खनन निदेशालय एवं यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (युसिल) के बीच कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में गोपी परियोजना हेतु खनन गवेषण द्वारा सम्भवि प्रचालन कार्य करने के लिए 6.3.2007 को एक समझौता ज्ञापन हुआ, जिसके लिए निधि ए.एम.डी. द्वारा उपलब्ध कराया गया था। युसिल एक एजेंट के लिए कार्य करेगा एवं मालिकाना ए.एम.डी. के पास रहेगा। ए.एम.डी. से प्राप्त धन का समायोजन किये गये कार्य के साथ जाता है और यदि कोई शेष राशि हो तो उसे देयता के रूप में लेखे खाते में दर्शाया जाता है।
- क) मंचालय के कैलेंग मंडेग सोडियम माउथावा खनन एवं मिश्रित परिवोजना के लोचगत विकास हेतु भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कुल 4000 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4000 लाख रुपये) प्राप्त हुआ था। कुल 4000 लाख रुपये में से 2771.92 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2447.09 लाख रुपये) 31.3.2013 तक के.एच.ए.डी.सी. को दिया गया था।
- ख) उपर्युक्त दर्शित शेष राशि जिसमें ब्याज सहित 63.56 लाख रुपये (पिछले वर्ष 41.95 लाख रुपये) उस पर अर्जित राशि है।

टिप्पणी-9

अल्प कालीन प्रावधान

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 को स्थिति के अनुसार	31.03.2012 को स्थिति के अनुसार
1. प्रेष्युद्यो हेतु प्रावधान	1,360.66	426.11
2. छुट्टी गकदीकरण हेतु प्रावधान	153.19	156.77
3. सेवा निवृत्ति पश्चात् कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	4.83	-
4. बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	61.97	60.28
5. सी.आई.एस.एफ. को देने हेतु प्रावधान	34.54	61.38
6. अन्य के लिए प्रावधान	3.50	5.19
7. कर के लिए	4,931.62	2,681.57
8. प्रस्तावित लाभांश	1,815.00	1,625.00
9. प्रस्तावित लाभांश पर कर	308.46	263.62
कुल	8,673.77	5,279.92

टिप्पणी-10 (क) एवं (ख)

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(लाख रुपयों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				शुद्ध ब्लॉक		
	31.03.2012 को	जाड़ा/ समायोजन	बिक्री/ समा-योजन	01.04.2011 को	31.03.2012 को	इस वर्ष के लिए	बिक्री/ समा-योजन	गत वर्ष के लिए	31.03.2012 तक कुल प्रावधान	31.03.2013 को	31.03.2012 को
(क) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ											
लीज भूमि	680.56	0.00	-	680.56	381.42	26.97	-	-	408.39	272.17	299.14
स्वतंत्र भूमि	3617.23	0.00	-	3617.23	48.65	13.14	-	-	61.79	3555.44	3568.58
फैक्ट्री भवन	18241.53	1415.11	-	19656.64	4195.71	541.65	-	-	4737.36	14919.28	14045.82
अन्य भवन	9860.16	3.02	-	9863.18	2383.22	167.22	-	-	2550.44	7312.74	7476.94
संयंत्र एवं मशीनरी	72502.76	7791.75	-	80294.51	41912.89	5765.31	-	-	47678.20	32616.31	30589.87
विद्युत प्रतिक्रियण	14272.26	783.93	-	15056.19	3962.67	671.34	-	-	4634.01	10422.18	10509.59
ओपेनआरस्ट खान	12235.28	0.00	-	12235.28	1988.23	611.77	-	-	2600.00	9635.28	10247.05
फर्नीचर एवं सजा सामान	588.45	52.01	-	640.46	337.68	33.50	-	-	371.18	269.28	250.77
उपकरण	794.60	195.54	-	990.14	495.14	34.38	-	-	529.52	460.62	299.46
वाहन	898.20	27.05	-	925.25	506.41	54.02	-	-	560.41	364.82	391.79
कुल	133691.03	10268.41	-	143959.44	56212.02	7919.30	-	-	64,131.32	79,828.12	77479.01
(ख) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ (वन भूमि में उपयोग के लिए)	1398.47	-	-	1398.47	233.60	52.76	-	-	286.36	1112.11	1164.87
योग	1398.47			1398.47	233.60	52.76	-	-	286.36	1112.11	1164.87
कुल योग	135089.50	10268.41	-	145357.91	56445.62	7972.06	-	-	64417.68	80940.23	78643.88
गत वर्ष	126382.55	8708.95	2.00	125089.50	49131.22	7315.05	0.65	-	56,445.62	78643.88	77251.34

टिप्पणी : 1. वर्ष के लिए रुपये 7972.06 लाख (गत वर्ष रुपये 7315.05 लाख) मूल्यहासित करआवंटित किया गया।

(क) लाभ हानि खाता में रु. 7795.47 (गत वर्ष 7183.90 लाख)

(ख) परियोजना पर अप्रत्यक्ष खर्च रुपये 176.59 लाख (गत वर्ष रुपये 131.15 लाख)

2. रु.5000/- एवं उससे कम लागत की अचल परिसम्पत्ति रुपये 18.34 लाख (गत वर्ष रुपये 20.97 लाख) को इस वर्ष पूर्ण रूप से मूल्यहासित किया गया।

3. सड़क पुल एक पुलियों सहित निर्माण में उच्च श्रेणी पुल का निर्माण (जो कम्पनी को अपनी जमीन पर नहीं है) में रुपये 419.78 लाख (सकल राशि) (गत वर्ष रुपये 419.78 लाख) खर्च किया गया।

4. अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ 553.24 एकड़ (गत वर्ष 553.24 एकड़) 1398.47 लाख रुपये (गत वर्ष रुपये 1398.47 लाख) की वन भूमि भी शामिल है जो झारखण्ड सरकार से विशिष्ट उपयोग के लिए प्राप्त किया गया है और उसका स्वामित्व झारखण्ड सरकार के पास है।

टिप्पणी-11

प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
1. जलपुंगोड़ा खान तथा संयंत्र	62.62	381.14
2. नरवाणडाह खान	8.70	4.71
3. तुरामडीह खान परियोजना	1075.95	1,004.80
4. बागवाला खान परियोजना	4073.29	6,029.97
5. तुरामडीह मिल परियोजना	140.36	80.35
6. बाँडुहरांग खान परियोजना	62.50	78.78
7. माहुलडोह खान परियोजना	513.69	2,974.93
8. तुमल्लापल्ली परियोजना	131932.76	103,298.41
9. तुरामडीह खान विस्तारण परियोजना	1176.76	1,046.92
10. तुरामडीह संयंत्र विस्तारण परियोजना	4424.59	4,093.99
11. परियोजना पूर्व के खन		
क) लाम्बापुर परियोजना	698.17	691.38
ख) के.पी.एम. परियोजना	732.31	686.65
ग) तुमल्लापल्ली विस्तारण परियोजना	64.96	64.96
घ) गोगो परियोजना	104.89	104.57
	1600.33	
12. स्टॉक में पूंजीगत सम्पत्ति जिसका प्रतिलिपन/उपयोग अभी किया जाना बाकी है मार्गस्थ सहित जिसमें रु.32.21लाख (गत वर्ष रु.42.89 लाख) योग	609.81	182.55
	145681.36	120,724.11

- आंध्र प्रदेश के लाम्बापुर परियोजना के लिए डी.पी.आर. 2003 में तैयार किया गया और 2003 में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया। खान के लिए पर्यावरण स्वीकृति 2005 में प्राप्त किया गया एवं प्लांट के लिए 2007 में स्वीकृति प्राप्त किया गया। तथापि परियोजना निर्माण के लिए सरकार की स्वीकृति अभी भी प्राप्त किया जाना है।
- कम्पनी ने ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट तैयार करना आरंभ किया है एवं मेघालय के केलिंग पेंडिंगसोडियंग, माउथावा खान एवं मिलिंग परियोजना के लिए वर्ष 2001 में खनन गृह हेतु आवेदन किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 2004 में तैयार की गई थी। 30 वर्षों के लिए गड़े गर भूमि स्थानान्तरण हेतु आवेदन कम्पनी के द्वारा मार्च, 2007 में जमा किया गया था। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 2007 में पर्यावरण स्वीकृति ले ली गई थी। तथापि, सरकार से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त नहीं होने की वजह से परियोजना निर्माण आरंभ होना अभी बाकी है।
- तुमल्लापल्ली विस्तारण परियोजना को वर्तमान उत्पादन क्षमता को तुमल्लापल्ली परियोजना के लिए 3000 टन प्रति दिन से 4500 टन प्रति दिन बढ़ाने हेतु 2010 में डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया था जिसकी स्वीकृति परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2010 में दी गई थी। ई.आई.ए./ई.एम.पी. अध्ययन किया गया था और उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया। चूंकि जनसुनवाई का कार्य समय से नहीं हो सका जिससे संदर्भ शर्तों की वैधता समाप्त हो गई। नया आवेदन किया गया है।
- गोगो यूरैनियम खनन एवं मिलिंग परियोजना, कर्नाटक के लिए डी.पी.आर. 2010 में तैयार किया गया था। परमाणु ऊर्जा ने भी 2010 में स्वीकृति दे दी थी। जन सुनवाई का कार्य 2010 में किया गया जो एम.ओ.ई.एन. द्वारा वेध प्रेषित नहीं किया गया। संदर्भ शर्तों की वैधता समाप्त हो गई। नया आवेदन किया गया है।

टिप्पणी-12

दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
1. अग्रिम पूंजी		
i) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	2958.38	4686.49
ii) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	849.77	849.77
कुल (1)	3808.15	5536.26
2. प्रतिभूत जमा		
i) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	-	-
ii) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई	279.95	82.12
कुल (2)	279.95	82.12
3. अन्य ऋण एवं अग्रिम		
i) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया गृह निर्माण अग्रिम	1252.53	837.74
ii) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	53.71	97.63
कुल (3)	1306.24	935.37
कुल (1+2+3)	5394.34	6,553.75

4. निदेशकों से बकाया ऋण एवं अग्रिम का विवरण	2012-13	2011-12
क) वर्ष के अंत में बकाये की राशि	शून्य	शून्य
ख) फर्म अथवा प्राइवेट कम्पनी से बकाया अग्रिम जिसका कंपनी का कोई निदेशक उसका निदेशक या सदस्य है राशि रु. - शून्य (गत वर्ष- शून्य)	शून्य	शून्य

टिप्पणी-13

माल सूची

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
1. माल सूची (जैसा कि प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित किये गये मूल्यांकन के अनुसार लिया गया है)		
अ) प्रत्यक्ष सामग्रियाँ	391.42	260.34
ब) भण्डार एवं कलपूर्ज		
i) भण्डार एवं कलपूर्ज	2806.68	2,519.90
ii) मार्गस्थ भण्डार	490.84	568.87
	3297.52	3,088.77
घटाया : अप्रयुक्त भण्डार के लिए प्रावधान	219.33	213.14
	3078.19	2,875.63
स) व्यापाराधीन स्टॉक		
i) अपरक	2838.06	3,041.38
ii) प्रक्रियाधीन कार्य	1496.79	1,289.03
iii) उपोत्पाद	16.91	18.32
घटाया : प्रावधान (उपोत्पाद)	3.25	3.25
	13.66	15.07
iv) रद्दी माल	301.13	246.42
	4649.64	
योग (अ+ब+स)	8119.25	7,727.87

टिप्पणी-14

व्यापार प्राप्तियाँ

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
1. छः महीने से अधिक		
i) वसूली योग्य समझा गया	-	-
ii) संदेहास्पद समझा गया	-	-
	-	-
2. अन्य ऋण (वसूली योग्य)	8958.53	2,753.41
कुल	8958.53	2,753.41

14.1 कंपनी के किसी निदेशक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा कर्ज देय है, चाहे अलग अथवा संयुक्त रूप में किसी व्यक्ति अथवा किसी फर्म या प्राइवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक पार्टनर है अथवा निदेशक अथवा सदस्य- शून्य (गत वर्ष- शून्य)।

टिप्पणी-15

नकद एवं बैंक में जमा शेष

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
क) नकदी एवं नकदी तुल्य		
1. नकद जो पास है (अग्रदाय राशि एवं ट्रिफ्ट सहित) जैसा कि प्रमाणित किया गया है।	24.26	9.72
2. बैंक में जमा शेष		
क) चालू खाता	141.44	131.48
ख) 3 माह की परिपक्वता वाली जमा राशि (बिना ग्रहणाधिकार)	6.00	4,556.00
झा योग (क) केश फर्मा विवरण के अनुसार नकद एवं नकदी तुल्य	171.70	4,697.20
ख) अन्य बैंक अधिशेष*		
ग) 3 माह से अधिक की परिपक्वता वाली जमा राशि		
i) ग्रहणाधिकारी अन्तर्गत जमा (ओ डो तथा एल सी)	19715.64	19,203.19
ii) ग्रहणाधिकार के बिना जमा	253.69	760.87
झा योग (ख)	19969.33	19,964.06
कुल (क+ख)	20141.03	24,661.26

* 116.44 लाख रुपये का बैंक जमा सहित, जिसको परिपक्वता 12 महीने की है।

टिप्पणी-16

अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
क) प्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई		
कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	156.76	147.15
ख) अप्रतिभूत जो वसूली योग्य समझी गई		
क) कर्मचारियों को दिया गया अग्रिम	262.39	218.09
ख) आनुवंशिकताओं को दिया गया अग्रिम		
i) वसूली योग्य समझा गया	133.71	921.32
ii) संदेहास्पद समझा गया	2.33	2.33
	1341.04	923.65
घटाया : संदेहास्पद पेशगियों का प्रावधान किया गया	2.33	2.33
	1338.71	921.32
ग) ठेकेदारों, सरकारी विभागों इत्यादि को दिया गया अग्रिम	1008.92	977.20
घ) कर की अग्रिम राशि	4316.23	4,436.54
ड.) अन्य प्राप्तियाँ		
i) वसूली योग्य समझा गया	990.78	855.27
ii) संदेहास्पद समझा गया	-	-
	990.78	855.27
घटाया : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
	990.78	855.27
च) कर्मचारियों से वसूली योग्य अन्य राशियाँ	40.13	33.16
झ) पूर्ण-प्रदत्त व्यय योग	15.02	14.15
	8128.94	7,602.88

16.1 2007-08 में झारखंड सरकार के जिला धनन पदाधिकारी के पास 165.03 लाख रुपये का मैग्नेटाइट डिपॉजिट पर लेखे का राजस्व जिसमें ठेकेदार, सरकारी विभाग सहित अग्रिम है विरोध के रहत जमा किया है, जिसके विरुद्ध विवाद न्यायालय में विचाराधीन है।

16.2 निदेशकों से ऋण एवं अग्रिम का विवरण	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
क) वर्ष के अन्त में बकायों को राशि	शून्य	शून्य
ख) फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी से बकाया अग्रिम जिसका कंपनी का कोई निदेशक सदस्य या निदेशक है	शून्य	शून्य

टिप्पणी-17

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(लाख रुपये में)

	31.03.2013 को स्थिति के अनुसार	31.03.2012 को स्थिति के अनुसार
उपचित व्याज		
1. बैंकों से	863.75	858.81
2. कर्मचारियों से	68.57	517.57
3. अन्य से	0.77	0.77
कुल	933.09	1,377.15

टिप्पणी-18

प्रचालन से प्राप्त राजस्व

	2012-13	2011-12
1. भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहण किये गये यूरेनियम सांद्रों की क्षतिपूर्ति	83205.77	67,667.19
घटाया - तुल्यतापल्लो परियोजना से संबंधित राशि आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित	1114.97	-
2. उपोत्पाद की बिक्री	82090.80	67,667.19
	625.65	551.69
उप योग	82716.45	68,218.88
घटाया : उत्पादन पर उत्पाद शुल्क	60.45	45.53
टर्नओवर (शुद्ध)	82656.00	68,173.35

3. वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा यूरेनियम सांद्र की क्षतिपूर्ति दर का निर्धारण संशोधित है और 2010-11 के लिए लागू जो बख्श में क्षतिपूर्ति के लिए 2012-13 में भेजे गए यूरेनियम सांद्र के लिए प्राप्त हुआ है जिसका प्रचालन से राजस्व के निर्धारण में कोई अंतर होने पर दर निर्धारण वर्ष के लेख में लिया जाएगा।

टिप्पणी-19

अन्य प्राप्तियाँ

(लाख रुपये में)

	2012-13	2011-12
क) व्याज		
1. बैंकों में जमा पर व्याज	1913.24	1,939.80
2. अन्य	92.85	97.58
उप योग (क)	2006.09	2,037.38
ख) अन्य अप्रचालन से प्राप्तियाँ		
1. अवशिष्ट सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राशि	363.47	208.30
2. उपकरणों तथा वाहनों का किराया	4.32	3.03
3. आपूर्तिकर्ताओं से पैकिंग सुधार भाड़ा एवं दण्ड आदि की वसूली	41.13	8.94
4. निधिया प्रपत्रों की बिक्री	16.61	11.47
5. देयताएँ एवं प्रावधान जिसकी आवश्यकता नहीं रही	156.92	11.79
6. आवारणीय प्राप्तियाँ	238.95	229.19
7. विविध	28.79	45.01
उप योग (ख)	850.19	517.73
कुल योग (क+ख)	2856.28	2,555.11

टिप्पणी-20

उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

	2012-13	2011-12
1. उपभुक्त कच्चे माल	6347.12	4,910.10
कुल	6347.12	4,910.10

टिप्पणी-21

तैयार सामग्रियों तथा प्रगतिधीन कार्य की सम्पत्ति सूची में परिवर्तन

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
प्रारम्भिक शेष		
अवशेष	3041.38	3,759.41
उत्पाद	18.32	13.59
प्रगतिधीन कार्य	1289.03	1,028.38
रक्रेप	246.42	144.84
	4595.15	4,946.22
जोड़ा :- महलडोह खान परियोजना शुरू होने पर अवशेष का मंडार	111.41	-
	4706.56	4,946.22
अंतिम शेष		
अवशेष	2838.06	3,041.38
उत्पाद	16.91	18.32
प्रगतिधीन कार्य	1496.79	1,289.03
रक्रेप	301.13	246.42
	4652.89	4,595.15
भण्डार में पूर्ण घुट्टि/(कमी)	53.67	351.07

टिप्पणी-22

कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

	31.03.2013 को स्थिति के अनुसार	31.03.2012 को स्थिति के अनुसार
1. वेतन तथा मजदूरी एवं भत्ते छुट्टी नकदीकरण सहित	17634.05	16002.25
2. भविष्य निधि में अंशदान	1576.12	1431.06
3. उपदान निधि में अंशदान	1684.64	768.31
4. कल्याण निधि में अंशदान	1.01	1.00
5. सेवानिवृत्ति कोष में अंशदान	69.06	71.22
6. छुट्टी यात्रा रियायत पर व्यय	80.98	49.49
7. कर्मचारियों के कल्याणार्थ व्यय	284.26	248.84
8. चिकित्सा व्यय	658.20	576.90
योग	21988.32	19149.07

9. वेतन तथा मजदूरी सहित अन्य लाभ रुपये 235.80 लाख (गत वर्ष रुपये 215.35 लाख) में जल को लागत से सम्बंधित वेतन एवं मजदूरी तथा अन्य लाभ में सम्मिलित नहीं है।

टिप्पणी-23

अन्य व्यय

(लाख रुपयों में)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
1. भण्डार एवं कलपुर्जों का उपभोग	6534.84	5559.34
2. बिजली एवं ईंधन	7224.82	6036.88
3. मरम्मत एवं अनुरक्षण		
क) भवन	522.12	404.19
ख) मशीनरी एवं वाहन	8135.01	8222.20
ग) अन्य	3167.56	2719.91
4. बीमा	23.08	19.21
5. दरें एवं कर, आय पर कर छोड़कर	49.11	64.94
6. जल	594.90	531.22
7. स्वामित्व शुल्क	1690.72	1397.24
8. परिवहन व्यय	585.95	567.70
9. सुरक्षा पर व्यय	1488.83	1530.74
10. नगरक्षेत्र एवं सामाजिक सुविधाओं पर व्यय	108.67	94.52
11. यात्रा व्यय	114.23	103.09
12. टेलीफोन व्यय	41.43	37.39
13. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	36.11	31.62
14. तार एवं डाक व्यय	14.13	13.93
15. विधि विषयक व्यय	7.12	2.91
16. विज्ञापनों पर व्यय	348.78	267.68
17. बिक्री कर	55.72	29.14
18. लेखा परोक्षकों का पारिवर्गिक	16.08	15.19
19. भाड़ा एवं हैंडलिंग प्रभार	109.39	90.99
20. अप्रचलित भण्डार	8.74	12.60
21. खान बंदी दायित्व के लिए प्रावधान	28.39	22.16
22. दान	1.36	1.00
23. कॉरपोरेट का सामाजिक दायित्व व्यय	223.90	322.67
24. सेवानिवृत्ति परचाय चिकित्सा लाभ	215.00	14.35
25. अन्य विविध व्यय	778.16	639.23
कुल	32124.15	28752.04

26. मरम्मत एवं अनुरक्षण में उपयुक्त भण्डार के रुपये 2721.58 लाख (गत वर्ष रुपये 2788.97 लाख) सम्मिलित हैं तथा कलपुर्जों रुपये 5238.37 लाख (गत वर्ष रुपये 5304.45 लाख) कुल रुपये 7959.95 लाख (गत वर्ष रुपये 8093.46 लाख) जिसे "भण्डार एवं कलपुर्ज" में सम्मिलित नहीं किया गया।

टिप्पणी-23

अन्य व्यय (क्रमशः)

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
27 लेखा परीक्षकों का भुगतान में शामिल		
क) सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान :		
लेखा परीक्षकों का शुल्क	3.03	2.47
कर के लिए लेखा परीक्षक	0.70	0.56
लेखा समीक्षा	-	1.10
व्यय का भुगतान	-	0.50
ख) आंतरिक अंकेक्षण शुल्क	12.01	10.22
ग) बैट अंकेक्षण शुल्क	0.34	0.34
योग	16.08	15.19

28 चिकित्सा व्यय टिप्पणी सं. 22 में उल्लिखित है एवं सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ को नगर एवं सामाजिक सुविधा व्यय में शामिल किया गया है।

टिप्पणी-24

पूर्वकालिक समायोजन

	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
व्यय		
अन्य व्यय	-	(52.60)
उप-योग (क)	-	(52.60)
आय		
अन्य	-	9.24
उप-योग (ख)	17.30	9.24
	17.30	9.24
योग (ख-क)	17.30	61.84

31.03.2013 को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो विवरण

	2012-13	2011-12
(क) परिचालन की क्रियाओं से कैश फ्लो		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	14416.98	8,626.69
समायोजन के लिए		
मुख्य ह्रास	7972.06	7,315.05
ऋण एवं पेशगी पर व्याज	(92.85)	(97.58)
बैंक जमा पर व्याज	(1913.24)	(1,939.80)
स्थिर परिसम्पत्तियों पर हानि	-	1.35
व्याज पर व्यय	2803.87	1,817.43
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन के पूर्व परिचालन लाभ	23186.82	15,723.13
समायोजन के लिए		
क) देनदारों को (वृद्धि)/ह्रास	(6205.12)	307.38
ख) मालसूची में (वृद्धि)/ह्रास	(391.38)	941.09
ग) ऋण एवं पेशगी में (वृद्धि)/ह्रास	(1215.07)	(607.82)
घ) अन्य चल परिसम्पत्तियों पर (वृद्धि)/ह्रास	444.06	404.15
ङ.) दायित्व में (वृद्धि)/ह्रास	(2811.77)	2,303.21
परिचालन की क्रियाओं से नकद अर्जन	13007.54	19,071.15
प्रत्यक्ष कर	(2888.98)	(5,139.40)
परिचालन की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	10118.56	13,931.75
(ख) निवेश की क्रियाओं से कैश फ्लो		
क) निश्चित परिसम्पत्तियों को खरीद	(10268.41)	(8,708.95)
ख) ड्रल्यू आई.पी. की पूंजी में (वृद्धि)/ह्रास	(24957.25)	(19,993.88)
ग) पूंजी व्यय के लिए अग्रिम	1728.11	1,889.27
घ) बैंक जमा पर व्याज	1913.24	1,939.80
ङ) ऋण एवं पेशगी पर व्याज	92.85	97.58
च) अन्य बैंक जमा में (वृद्धि)/ह्रास	(5.27)	5,248.41
निवेशों की क्रियाओं से शुद्ध कैश फ्लो	(31496.73)	19,527.77
(ग) वित्तीय क्रियाओं से कैश फ्लो		
शॉर्टटर्म शेयर पूंजी से लाया गया	-	-
अल्प कालीन ऋण में (वृद्धि)/ह्रास	21281.54	14,360.78
लाभों का चुकाया	(1625.00)	(2,550.00)
व्याज चुकाया	(2803.87)	(1,817.43)
वित्तीय क्रियाओं में शुद्ध नकदी का उपयोग	16852.67	9,993.35
(घ) नकद तथा नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)	(4525.50)	4,397.33
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी के सामान	4697.20	299.87
वर्ष के अन्त में नकदी के सामान	171.70	4,697.20
(ङ.) नकद एवं नकदी के सामान में शुद्ध वृद्धि	(4525.50)	4,397.33

विगत वर्ष के आंकड़े को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू वर्ष में तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

यह हमारे सलाहक सम दिनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है।

कुने तोड़ी तुलस्थान एण्ड क.

कुने एवं बोर्ड के तरफ से

सनदी लेखाकार

फर्म रजि.सं. 002180/सो

(सुशील कुमार तुलस्थान)

भागदार

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23.08.2013

बी. सी. गुप्ता

कम्पनी सचिव

बी. एल. साबू

निदेशक (वित्त)

एस. के. श्रीवास्तव

निदेशक (तकनीकी)

डी. आचार्य

अध्यक्ष एवं

प्रबंध निदेशक

टिप्पणी-25

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत भारत में साधारणतया स्वीकृत सिद्धांत, कम्पनी 1956 के प्रावधानों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा अन्य प्रयोजन कानूनी अभिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है।

2. अनुमानों का प्रयोग :

वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण में अनुमानों एवं धारणाओं के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है जो कि वित्तीय विवरण के दिन परिसम्पत्ति एवं दायित्वों को सूचित करता है तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्च को सूचित करता है। उस अवधि के वास्तविक परिणामों एवं अनुमानित परिणामों के अन्तर को जानने के बाद/कार्य पूरा होने के बाद मान्यता दी जाती है।

3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

- कुल मूल्यहास को घटाकर सभी निश्चित परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दिखाया गया है। परियोजनाओं के मामले में लागत पूर्व परिवर्तन के खर्च भी शामिल हैं।
- नये खानों के निर्माण में हुए खर्चों को खान निर्माण की अवधि में निकले अथवा से हुई आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है।
- बीमाकृत कलपूर्वों को केवल निश्चित परिसम्पत्तियों के मद के सिलसिले में प्रयोग किये जा सकते हैं तथा जिनका नियमित रूप से इसमें उपयोग नहीं होता है उन्हें सम्बंधित सम्पत्तियों के साथ जोड़ा गया है।
- सिस्टम सॉफ्टवेयर को सम्बंधित परिसम्पत्तियों के साथ पूँजी में परिणत किया जाता है। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को जिस वर्ष इसका उपयोग हुआ उस वर्ष उस राजस्व में दिखाया गया है।

4. पूँजीगत कार्य प्रगति पर :

पूँजीगत कार्य प्रगति पर में सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा निर्माण के खर्च शामिल हैं तथा अचल परिसम्पत्तियों की लागत जिसे उसमें आधेतरित उपयोग के लिए अभी भी तैयार नहीं है को निर्माण खर्च में शामिल किया गया है।

5. मूल्यहास :

- क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-14 में निर्धारित दर के आधार पर मूल्यहास सीधे रेखा पद्धति द्वारा लगाया जाता है। 01.04.1997 के पूर्व अधिग्रहित परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास सीधे रेखा पद्धति द्वारा परिसम्पत्तियों के 01.04.1997 के प्रारंभिक शुद्ध मूल्य पर, मूल्यहास की निर्धारित दर जो परिसम्पत्तियों की अवशेष आयु के आधार पर निकाली गई है, के आधार पर लगाया गया है जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-14 में दर्शाया गया है।
- ख) प्रभावित वर्ष की पूर्ण अवधि में परिसम्पत्तियों का समायोजन/निपटान मासिक वधानुगत के आधार पर मूल्यहास प्रभारित कर दिया जाता है जिसमें अगले महिने की प्रथम तिथि को अधिग्रहण की तिथि तथा महिने की अन्तिम तिथि को उसके निपटान की तिथि माना गया है।
- ग) सम्पत्ति का विस्तार या योग जो वर्तमान परिसम्पत्तियों का अभिन्न अंग है उसे उसके उपयोग की शेष अवधि के लिए ह्रासित किया गया।
- घ) कुछ निश्चित परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची-14 में निर्धारित दर से अधिक लगाया गया है जिसके कारण उस सम्पत्ति के उपयोग की आयु तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कम आँका जाना है। जहाँ कहीं भी वर्तमान परिसम्पत्तियों की अनुमानित आयु को वास्तविक आयु से कम होने का अनुमान लगाया गया है वहाँ संशोधन किया जाता है एवं उसके शेष उपयोग की आयु पर मूल्यहास किया जाता है।
- ड.) i) तकनीक मूल्यांकन के आधार पर तृतीय टेलिंगस पीण्ड (स्लाइम डैम) के उपयोग की आयु 10 वर्ष है।
ii) टेलिंग पीण्ड (स्लाइम डैम) के दीवार के ऊपर तक उठाने का कार्य वितीय वर्ष में पूरा कर इसे पूँजीगत कर दिया गया है एवं तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उसके उपयोग आयु से ह्रासित किया गया।
- च) टेलिंग पीण्ड के निर्माण के लिए उपयोग की गई निजी भूमि, सरकारी भूमि, वनभूमि का मूल्यहास उसकी उपयोगी आयु के आधार पर किया गया है।
- छ) सरकारी भूमि जिसे लीज होल्ड के अन्तर्गत दिखाया गया है तथा जिसे अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है उसे लीज अवधि तक के लिए या सम्पत्ति के उपयोग की अवधि तक के लिए जो भी पहले होता है जिसके लिए भूमि का उपयोग किया गया है उसका मूल्यहास किया गया है।
- ज) अमृत सम्पत्ति : वन भूमि जिसे विभिन्न खानों एवं मिनों के लिए अधिग्रहित किया गया था उसका परिशोधन सीधे रेखा पद्धति के आधार पर उसकी सम्भावित आयु के अनुमान पर किया गया है।
- झ) बीमाकृत कलपूर्वों को संबंधित परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोग की आयु से उतार दर पर ह्रासित किया जाता है जो उस सम्पत्ति के लिए प्रयोज्य है तथा मूल्यहास की राशि को सम्पत्ति के अधिग्रहण की तारीख से बीमाकृत कलपूर्वों की आयु तक के लिए अधिग्रहण के वर्ष में लगाया गया है।
- ट) 5,000/- रु. या उससे कम लागत वाली परिसम्पत्तियों को वर्ष के प्रारम्भ में ही पूर्णतः ह्रासित कर दिया जाता है।

6. वस्तुओं का मूल्यांकन :

क) वस्तुओं का मान :

वस्तुओं को कम लागत एवं प्राप्ति योग्य मूल्य में जो भी कम हो पर लिया गया है।

ख) लागत सूत्र

i)	आयकर एवं प्रगतिशील कार्य	:	लागत पद्धति अपनाते पर
ii)	प्रत्यक्ष सामग्री, भण्डार तथा कलपूर्व	:	भारित औसत लागत मूल्य पर
iii)	मार्गस्थ एवं निरीक्षणार्थीन घाल	:	अधिग्रहित मूल्य पर
iv)	गोण-उत्पाद	:	परिवर्तित लागत पर
v)	स्क्रेप	:	अनुमानित मूल्य पर

ग) खुले औजार

खुले औजार को जारी करने के वर्ष ही बड़े खाते में डाल दिया जाता है।

घ) प्रयोज्य सम्पत्ति

निश्चित परिसम्पत्तियों के मद जो उपयोग के बाद छोड़ दिये जाते हैं तथा जिनको उपयोगिता समाप्त हो चुकी है एवं जिन्हें निपटान के लिए रखा गया है उन्हें उनके शुद्ध लिखित मूल्य तथा प्राप्तियोग्य मूल्य जो भी कम हो, पर दिखाया जाता है।

ड.) अयोग्य/ अप्रचलित भण्डार

पूँजीगत भंडार एवं बीमाकृत कलपूर्वों के अतिरिक्त ऐसे भण्डार व कलपूर्व जिनका पिछले पाँच वर्षों में प्रयोग नहीं किया गया है, के लिये अयोग्य अप्रचलित भण्डार का प्रावधान किया गया है। अयोग्य भण्डार को गैर सामग्री को निपटान के लिये अलग रखा जाता है और उसके लिखित मूल्य को बड़े खाते में डाल दिया जाता है। निपटान में प्राप्त हुए मूल्य को आय में जमा कर दिया जाता है।

7. राजस्व की मान्यता :

भारत सरकार द्वारा यूरैनियम सन्द के अधिग्रहण के लिए दी गई क्षतिपूर्ति को राजस्व के रूप में मान्यता दी गयी है।

8. अनुदान एवं सहायता :

केन्द्र सरकार द्वारा पूँजीगत व्यय के लिये प्राप्त अनुदान वहाँ अधिग्रहित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास हो, इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव को लागत में समाविष्ट किया जाता है।

9. अयस्क पिण्ड के विकास पर व्यय :

वर्तमान कार्यरत खान में अयस्क पिण्ड को विकसित करने में हुए व्यय को उसी वर्ष जिसमें वह व्यय हुआ है, के लाभ हानि खाते में दिखाया गया है।

10. खान बंदी दायित्व :

खान एवं खनिज (विकास व नियमन) कानून 1957 (एम.एम.डी.आर. 1957) के अनुसार खान बंद करने व पर्यावरण के पुनरुद्धार के दायित्व को पूर्ण करने के लिये देयधन का, अयस्क भण्डार की उपलब्धता के आधार पर तकनीकी आकलन कर खान के वार्षिक खनिज उत्पादन के आधार पर लाभ हानि लेखे में प्रभावित किया जाता है।

11. ओपेन कास्ट खान के विकास पर व्यय :

ओपेन कास्ट खान के विकास पर हुए व्यय को अयोग्य पत्थर की पर्त को हटाने एवं खान के खालू होने की तिथि तक खनन बंधों की तैयारी में हुए व्यय को खान को पूर्ण आयु पर परिसंशोधित किया जाता है।

12. सेवा निवृत्ति के लाभ :

- भविष्य निधि में कम्पनी के अंशदान को लाभ हानि खाता में उपार्जित आधार पर दिखाया गया है।
- सेवा निवृत्ति में अंशदान कम्पनी की नीतियों के आधार पर किया जाता है तथा इसे भारत सरकार के जीवन बीमा निगम में जमा कराया जाता है एवं लाभ हानि खाता में उसी वर्ष दिखाया जाता है जिस वर्ष वह (प्रीमियम) बकाया पड़ता है।
- प्रेम्युटी तथा ड्यूटी के नगदकरण के लाभ को उपार्जित मूल्यांकन के आधार पर उसी वर्ष लाभ हानि खाते में प्रभावित किया जाता है।
- स्वोच्छिन्न सेवा निवृत्ति के खर्चों को उसी वर्ष राजस्व खाते में प्रभावित किया जाता है जिस वर्ष वह कर्मचारियों को अनुमोदित किया जाता है।

13. विदेशी मुद्रा का लेन-देन:

विदेशी मुद्रा का लेन-देन उसी तारीख के प्रभावों पर पर दर्ज किया जाता है जिस तारीख को वह लेन-देन हुआ है। वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा का दायित्व तथा



चालू परिसम्पत्तियों को प्रभावी दर से लगातार/बदला जाता है। पूँजीगत सम्पत्ति के मामले में इसके अन्तर्गत निश्चित परिसम्पत्तियों/पूँजी डबल्यू आई गो से तथा चालू परिसम्पत्ति/दायित्व के मामले में लाभ-हानि खाते में लगातार किया जाता है।

14. चालू एवं आस्थगित कर के लिए प्रावधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ को विचारने के बाद वर्तमान के कर का प्रावधान किया गया है। आस्थगित कर जो लिखित और कर योग्य लाभ के मध्य समय की भिन्नता (टाइमिंग डिफरेंस) के फलस्वरूप कर की दरें तथा नियमों में प्रयोग के लिए किया जाता है जो अधिक चिह्नों के दिन विधि अथवा पर्याप्त रूप से विभिन्न रूप में लिया जाता है। आस्थगित कर सम्पत्ति को मान्यता है तथा इसे उस अवस्था तक लिया जाता है जहाँ तक न्यायसंगत कारण है कि वह भविष्य में सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जायेगा।

15. नकदी प्रवाह विवरण :

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग कर नकदी प्रवाह को सूचित किया गया है जिसमें कर पूर्व लाभ को बिना नकद लेन-देन के प्रभावों की गैर नकदी प्रवाह प्रकृति अथवा भविष्य एवं विगत की किसी आस्थगित एवं उपाजित प्राप्ति अथवा भुगतान के प्रभावों को समायोजित किया जाता है। कम्पनी की नियमित राजस्व आमदनी, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों द्वारा प्राप्त नकदी प्रवाह को अलग दिखाया जाता है।

16. अनुसंधान एवं विकास में व्यय :

पूँजीगत मर्दों से संबंधित खर्चों को निश्चित परिसम्पत्तियों में डेबिट किया जाता है तथा प्रयोज्य दरों पर मूल्यह्रासित किया जाता है। राजस्व खर्चें जिस वर्ष हुए इन्हें उसी वर्ष के लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है।

17. पूर्व अवधि का समायाजन :

विगत वर्ष से संबंधित 50,000 रुपये से अधिक के आय/व्यय वाले मर्दों से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्व अवधि समायाजन के रूप में दिखलाया जाता है।

18. पूर्वदत्त व्यय :

अवधि समाप्त होने के पूर्व 50,000 रुपये से ज्यादा की पूँजी से जुड़े प्रत्येक मामले को पूर्वदत्त व्यय के रूप में दिखलाया जाता है।

19. लेखा को उपाजित पद्धति के अपवाद :

कम्पनी निर्मातृलिखित मर्दों को छोड़कर जिनका नकदी आधार पर लेखा में प्रयोग होता है, लेखा में उपाजित व्यवस्था को अपनाती है।

(क) ऐसे व्यय जिसके मूल्य का न्यायसंगत अंदाजा प्रावधान बनाने के लिये नहीं लगाया जा सकता।

(ख) चिकित्सा भण्डार, खेल सामग्री, गुट्टर एवं स्टेशनरी तथा जलपानगृह और अतिथिगृह के लिए व्यय का प्रावधान इसके क्रम के समायोजन कर लिया जाता है।

20. सम्पत्तियों की क्षीणता :

(क) यह जानने के लिए कि क्या सम्पत्तियों में क्षीणता का कोई संकेत है सम्पत्तियों को लागत को प्रत्येक तुलनपत्र में विचारा जाता है। अगर कोई संकेत रहता है तो उस सम्पत्ति से प्राप्त होनेवाली राशि का अनुमान लगाया जाता है। सम्पत्ति को क्षमता को आँका जाता है कि क्या इसकी वसूली योग्य क्रम से इसको दिखाई लागत अधिक है। सम्पत्ति की क्षीणता को तब मान्यता दी जाती है जब दिखाई जा रही राशि (Carrying Amount), वसूली योग्य राशि (Recoverable Amount) से अधिक है। प्राप्तियोग्य मूल्य, सम्पत्ति की विक्री मूल्य तथा उपयोग किये मूल्य से उँचा होता है। उपयोग किये मूल्य का निर्धारण भविष्य के केश पत्तों को नियोजित पूँजी से जिसे भारत सरकार द्वारा यूरेनियम सान्द्र की दर के दक्षिणपुर्ति के आधार पर कर दी जाती है, उसमें वर्तमान मूल्य को घटा दिया जाता है।

(ख) क्षीणता शांत होने के बाद सम्पत्ति की संशोधित राशि पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है जो इसकी उपयोगी आयु के ऊपर होता है।

(ग) पूर्व में निर्धारित मूल्यह्रास हानि की परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या घटाया जाता है। हालाँकि, क्षीण हानि को उस राशि से ज्यादा नहीं घटाया जा सकता है जो कि दिखाई गई राशि से ज्यादा हो जिसका निर्धारण (शुद्ध परिशोधित अथवा मूल्यह्रास) वह मानकर कि पूर्व वर्ष में कोई क्षीण हानि नहीं निर्धारित की गई है के आधार पर किया गया हो।

21. आकस्मिक दायित्व :

इसे आर्थिक चिह्नों के टिप्पणी द्वारा उल्लिखित किया गया है। इसे लेखा में उन आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान किया जाता है जिसे वर्ष के अंत में लेखा की समाप्ति पर दायित्व में परिवर्तित किया जायेगा एवं आर्थिक चिह्नों में जिसका प्रभाव दिखलाया जायेगा।

22. प्रावधान :

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों के लिये प्रावधान को मान्यता है और ऐसे दायित्व के, भुगतान के लिये सम्भवतः संसाधनों के वहिवाह की जरूरत होगी बशर्ते इनका निष्पक्षणीय आकलन सम्भव हो। प्रावधानों को इसके वर्तमान मूल्य में नहीं लिया गया है। इसे प्रबंधन के अनुमान पर निश्चित किया गया है जिससे कि दायित्वों का तुलन पत्र की तिथि पर निरूपित किया जा सके। इसकी प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि में समीक्षा की गई है एवं इसे प्रबंधन के वर्तमान अनुमान में प्रतिबिम्बित किया गया है।

टिप्पणी-26

लेखे पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

26.1 कम्पनी को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 7/6/69-मिन दिनांक 07 अगस्त, 1973 तथा संख्या 7/6/69-मिन (पी एस यू) दिनांक 01 जुलाई, 1974 को शर्तों के अनुपालन में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 के 33) की धारा 18 के अन्तर्गत अपने उत्पादन तथा उपभुक्त कच्चे माल, प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक, क्रय किये गए या अधिग्रहण किये गए कच्चे माल, अनुजाति एवं स्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन को प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित करने या उपलब्ध करने से निषिद्ध कर दिया गया है।

तथापि इन सूचनाओं को वर्ष 2003-04 से सरकारो लेखा परीक्षकों को उपलब्ध कराया जाता है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अनुसार उनके उच्च स्तर के उच्च परीक्षकों को परमाणु ऊर्जा विभाग के आदेश संख्या 10/8 (12)/2004-पी.एस.यू./448 दिनांक 9 जुलाई, 2004 के तहत कम्पनी का महत्वपूर्ण अंशधारकों को देखने एवं इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूर्ति, जिसमें इन सूचनाओं को अन्य एजेंसियों को नवीर्ये जाने का गोपनीय करार भी है, दिया जाता है।

26.2 क) कम्पनी ने नरवानहाड़ में 1128.32 एकड़ (गत वर्ष 1128.32 एकड़), तुमलागल्ली में 813.412 हेक्टेयर (गत वर्ष 813.412 हेक्टेयर) भूमि, तुरामडीह में 557.18 एकड़ (गत वर्ष 557.18 एकड़) भूमि, बोंदहगंग में 686.86 (गत वर्ष 686.86 एकड़) भूमि एवं बगगाता में 303.14 एकड़ (गत वर्ष 303.14 एकड़) भूमि का खनन पट्टा प्राप्त कर लिया है। कम्पनी पाटिन सहित जदगोड़ा के लिए 1312.62 एकड़ (गत वर्ष 1312.62 एकड़) भूमि के खनन पट्टा के नवीनीकरण, माहुलडीह के लिए 288.20 एकड़ (गत वर्ष 288.20 एकड़) भूमि, तुरामडीह के लिए 31.77 एकड़ (गत वर्ष 31.77 एकड़) अतिरिक्त भूमि, के.पी.एम. के लिए 290.45 हेक्टेयर (गत वर्ष 290.45 हेक्टेयर) एवं लाम्बापुर के लिए 1301.38 एकड़ (गत वर्ष 1301.38 एकड़) भूमि एवं गोगो के लिए 39.13 एकड़ (गत वर्ष शून्य) भूमि के लिए खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म अधिकारी से पत्राचार कर रही है।

ख) कम्पनी राज्य सरकार/निजी पार्टियों से 1548.09 एकड़ भूमि (गत वर्ष 1548.09 एकड़) भूमि का स्वीकारात्मक स्वामित्व रखती है। जिससे संबंधित दस्तावेजों का हस्तांतरण/पंजीकरण आदि पूरा करना बाकी है, जिसकी कीमत 1517.59 लाख रुपये (गत वर्ष 1517.59 लाख रुपये) है, जिसे कम्पनी की अचल परिसम्पत्ति में "लीज की भूमि" तथा "स्वतंत्र भूमि" शीर्ष में सम्मिलित किया गया है।

ग) मुसाबनी में पृथ्वती बिहार सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई 3 एकड़ भूमि का उपयोग कम्पनी द्वारा 1986 से किया जा रहा है। इसके प्रयोग से संबंधित कोई औपचारिक अनुबंध नहीं हो पाने के कारण इसके लिए भुगतान/प्रावधान पर कोई विचार नहीं किया गया है।

	(लाख रुपये में)	
	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
26.3 फुटकर देनदारियाँ तथा वचनबद्धता (जिसकी सीमा उपलब्ध नहीं कराई गई)		
क) दावा जिनसे ऋण के रूप में नहीं स्वीकारा गया	0.59	0.59
ख) असमाप्त शाख-पत्र	135.66	112.90
ग) टेके के शेष अनुमानित राशि जिसका पूँजीगत लेखे में निष्पादन करना है (शुद्ध अग्रिम)	4829.94	6250.96
घ) कम्पनी के विरुद्ध दावे जिसे कम्पनी ने कर्ज के रूप में नहीं स्वीकारा है		
i) टेकेदारों, छूट प्रणाली, इनगुट टैक्स क्रेडिट के निःशुल्क सामग्री निर्गम के संबंध में बिजौ कर दावों पर कम्पनी का विवाद	393.09	412.04
ii) झारखण्ड बिजली बोर्ड द्वारा इंधन प्रभार का दावा जो कम्पनी द्वारा विवादित है	10155.95	8,663.86
iii) आयकर दावे जिसके लिए कटौती एवं कर देयता के संबंध में कम्पनी का विवाद	501.98	501.95
iv) खरकाई नदी से जलापूर्ति के लिए खरकाई कर द्वारा जल प्रभार का दावा	200.54	शून्य

कुछ मामलों में विभिन्न न्यायालयों में लंबित है जिसके लिए लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। आकस्मिक देयता का प्रकटोत्तरण नहीं किया गया है क्योंकि उसका इस स्तर पर पता लगाना संभव नहीं है।

26.4 लेनदारों, देनदारों एवं अग्रिमों का शेष, सम्बंधित पक्षों के पुष्टिकरण पर निर्भर है एवं समाधान प्रक्रियाधीन है।

26.5 अंतरिक एवं बाहरी तथ्यों के निर्धारण के आधार पर सम्पत्तियों के मिलान के लिए कोई तुलनात्मक प्रावधान का विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य वर्तमान परिसम्पत्तियों के लागत से अधिक है।

26.6 कम्पनी कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान नियम 1952 (ई.पी.एफ. एक्ट) के अन्तर्गत नहीं आता है, परन्तु भविष्य निधि की व्यवस्था 1967 से न्यास के द्वारा की जा रही है जिसका नियम कम्पनी के द्वारा बनाया हुआ है और वह रिजर्वल प्रोविडेड कॉमिशनर (RPFC), पटना एवं आय कर आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। तथापि आरपीएफसी, जमशेदपुर ने अपने सूचना दिनांक 01.01.1997 द्वारा दावा किया है कि यह ई.पी.एफ. एक्ट 1952 के अन्तर्गत आता है

एवं 1997 से कम्पनी का पी.एफ. एवं फैमिली पेंशन अंशदान बना करने के लिए कहा है। कम्पनी ने दावे पर आपत्ति उठाई है तथा इसे अपील किया है जो वर्तमान में इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल (EPAT), नई दिल्ली के पास लंबित है। चूंकि कम्पनी के पी.एफ. अंशदान न्यास को पुनर्गठन किया है जो 1952 ई.पी.एफ. एक्ट के अनुसार देय है, अतः कोई अतिरिक्त वित्तीय दायित्व ई.पी.ए.टी. के समक्ष अपील लंबित होने के कारण नहीं बनता है।

26.7 अभिव्यक्ति प्रमाण-पत्र के अनुसार तुलन पत्र लिखित का प्रावधान कार्य देवता के लिए किया जाता है। अंतिम भुगतान बिल में जिसका इस्तेमाल जीवित परिसम्पत्तियों के पुंजीकरण का प्रावधान अभिव्यक्ति प्रमाण पत्र के अनुसार उपबंध किया जाता है जिसका अंतिम भुगतान में समायोजन करना आवश्यक होता है।

26.8 अतिरिक्त सूचनाएँ	(लाख रुपये में)	
	2012-13	2011-12
(क) सी.आई.एफ. के आधार पर आयात की गई सामग्रियों का मूल्य		
i) संघटक एवं कलपूज	378.52	115.58
ii) पूंजीगत माल	-	-
योग (क)	378.52	115.58
(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय (उपार्जन के आधार पर)		
i) पुरतक तथा प्रविकाएँ	-	0.38
ii) विदेश यात्रा	8.95	7.44
योग (ख)	8.95	7.82

(ग) वर्ष भर में आयातित/स्वदेशी सामग्रियों, कलपूज एवं उपभुक्त सौटकों का कुल मूल्य:

	2012-13	%	2011-12	%
आयातित	365.84	1.54	264.85	1.28
स्वदेशी	23460.98	98.46	20423.90	98.72
योग	23826.82	100.00	20688.75	100.00

26.9 लेखा मानक-15 के अनुसार प्रकटीकरण (संशोधित)

	2012-13	2011-12
(क) परिभाषित अंशदायी योजना		
वर्ष के लिए लाभ एवं लेखा विवरण में निम्नलिखित को चिह्नित किया गया:		
कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	1696.06	1431.06
सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	69.06	71.22
(ख) ग्रेजुटी के संबंध में (कम्पनी निधि द्वारा) ग्रेजुटी के संबंध में तुलन-पत्र में चिह्नित राशि		
वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य के परिभाषित निधि लाभ का दायित्व	8959.86	7,893.90
योजना सम्पत्ति का वास्तविक मूल्य	7817.93	7,656.52
कुल देयताएँ (परिसम्पत्ति)	1141.93	237.38

ग्रेजुटी के संबंध में लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ की राशि को चिह्नित किया गया

	2012-13	2011-12
चालू लेखा लागत	408.64	392.35
परिभाषित लाभ दायित्व पर व्याज	620.24	570.70
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	(674.79)	(567.98)
चिह्नित अवधि के दौरान शुद्ध लाभ/हानि	1396.57	242.09
विगत सेवा लागत	-	-
शुद्ध ग्रेजुटी लागत	1750.66	637.16
लाभ-हानि खाते में प्रभावित राशि	17087.88	619.03
आई.ई.डी.सी. को को हस्तांतरित राशि	41.78	18.13
योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ:		
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	674.79	567.98
योजना सम्पत्ति पर वास्तविक लाभ/हानि	(195.62)	(5.67)
	479.17	562.31

योजना सम्पत्ति के वास्तविक लागत एवं दायित्व का वर्तमान मूल्य का पुनर्मूल्यांकन:

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

आरम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व	7863.90	7,426.93
चालू सेवा लागत	408.64	392.35
व्याज लागत	620.24	570.70
योजना संशोधन लागत	-	-
वास्तविक (लाभ/हानि)	1200.95	236.42
लाभ भुगतान	(1133.87)	(762.50)
अन्तिम परिभाषित लाभ दायित्व	8959.86	7,863.90

योजना परिसम्पत्ति मूल्य में वास्तविक परिवर्तन

योजना सम्पत्ति का प्रारम्भिक वास्तविक मूल्य	7656.52	5,527.59
योजना सम्पत्ति पर अनुमानित लाभ	674.79	567.98
वास्तविक लाभ/हानि	(195.62)	(5.67)
नियोजक द्वारा अंशदान	816.11	2,329.12
लाभ भुगतान	(1133.87)	(762.50)
योजना सम्पत्ति का अंतिम वास्तविक मूल्य	7817.93	7,656.52
योजना सम्पत्ति का निवेश विवरण		
भारत सरकार की प्रत्यभूति	19.54	19.54
कॉरपोरेट बॉर्ड (बंध पत्र)	57.04	57.04
विशेष जमा योजना	23.42	23.42
कुल	100%	100%

ग्रेजुटी के संबंध में चालू वर्ष एवं विगत चार वर्षों की राशि

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार
परिभाषित लाभ	(8959.86)	(7,863.90)	(7,426.93)	(5,083.58)	उपलब्ध नहीं है
योजना सम्पत्ति	7817.93	7,656.53	4,614.09	4,884.98	उपलब्ध नहीं है
अंतरिषत/(हानि)	(1141.93)	(207.38)	(2,812.64)	(198.60)	उपलब्ध नहीं है
योजना दायित्व पर समायोजन का अनुभव	(900.15)	(516.85)	(1,018.60)	(969.59)	उपलब्ध नहीं है
योजना सम्पत्ति पर समायोजन का अनुभव	(195.62)	(5.67)	148.86	91.45	उपलब्ध नहीं है
वास्तविक लाभ/(हानि) अनुमान में परिवर्तन के कारण	(300.80)	280.43	0.00	864.70	उपलब्ध नहीं है

तुलन पत्र तिथि के अनुसार मुख्य वास्तविक अनुमान

	31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार
स्टूट दर	8.10%	8.50%
सम्पत्ति योजना पर लाभ का अनुमानित दर	9.00%	9.00%

(ग) छुट्टी लाभ योजना के सम्बंध में परिभाषित लाभ अधिकल्पना

31.03.2013
स्थिति के अनुसार31.03.2012
स्थिति के अनुसार

छुट्टी लाभ के सम्बंध में तुलन-पत्र में राशि को स्वीकार किया गया

परिभाषित लाभ निधि का वर्तमान मूल्य

वर्ष के अंत में दायित्व

योजना सम्पत्ति का औचित्य मूल्य

शुद्ध देयता/(परिसम्पत्ति)

2776.28

2362.40

0.00

0.00

2776.28

2362.40

छुट्टी के सम्बंध में लाभ एवं हानि खाते के विवरण में स्वीकार की गई राशि

चालू सेवा लागत

परिभाषित लाभ का दायित्व

योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी

शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/(हानि) के दौरान स्वीकार की गई राशि

विगत सेवा लागत

शुद्ध छुट्टी नकदीकरण लागत

लाभ एवं हानि लेख को राशि विवरण में प्रभावित किया गया

आई.ई.डी.सी. में इस्तेमालित राशि

466.06

443.00

195.25

170.93

0.00

0.00

(116.64)

(280.75)

0.00

0.00

544.67

333.18

507.61

316.81

37.06

16.37

दायित्व के वर्तमान मूल्य का पुनर्मिलान एवं योजना सम्पत्ति का उचित मूल्य

परिभाषित योजना में परिवर्तन :

प्रारम्भिक परिभाषित लाभ दायित्व

चालू सेवा लागत

व्या लागत

योजना संशोधन लागत

बीमांकिक (लाभ)/(हानि)

धुगतान किया गया लाभ

अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व

(लाख रुपये में)
31.03.2013
स्थिति के अनुसार31.03.2012
स्थिति के अनुसार

2362.40

2191.31

466.06

443.00

195.25

170.93

0.00

0.00

(116.64)

(280.75)

(130.79)

(162.09)

2776.28

2362.40

योजना परिसम्पत्ति उचित मूल्य में परिवर्तन

योजना परिसम्पत्ति का प्रारम्भिक उचित मूल्य

योजना परिसम्पत्ति पर अनुमानित वापसी

बीमांकिक लाभ/(हानि)

नियोजकों द्वारा किया गया अंशदान

धुगतान किया गया लाभ

योजना परिसम्पत्ति का अंतिम उचित मूल्य

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.79

162.09

(130.79)

(162.09)

0.00

0.00

तुलन-पत्र में छुट्टी नकदीकरण पर मुख्य बीमांकिक अनुमान

स्टूट दर

वापसी की अनुमानित दर

वैतन वृद्धि दर

वापसी दर

0.08

0.09

-

-

0.05

0.05

0.01

0.01

(घ) सेवा-निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में परिभाषित लाभ योजना

सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में तुलन-पत्र

में स्वीकार की गई राशि

प्रक्षिप्त लाभ दायित्व

योजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य

शुद्ध देयता/(परिसम्पत्ति)

226.58

0.00

0.00

0.00

226.58

0.00

लाभ एवं हानि के विवरण में स्वीकार की गई राशि एवं सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ के सम्बंध में

चालू सेवा लागत (पूर्ण बीमा लाभ के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)

व्याज लागत

9.44

0.00

0.00

0.00

	31.03.2013	31.03.2012
स्थिति के अनुसार	स्थिति के अनुसार	स्थिति के अनुसार
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित वापसी	0.00	0.00
अवधि के दौरान/स्वीकार की गई शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	237.39	0.00
क्रियत सेवा लागत	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकार किया गया नियोजक का शुद्ध व्यय	246.83	0.00
लाभ एवं हानि लेखे के विवरण में प्रभावित राशि	215.00	0.00
आई.ई.डी.सी. को हस्तांतरित राशि	31.83	0.00
दायित्व के वर्तमान मूल्य का पुनर्मिलान एवं योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य :		
परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन -		
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	0.00	0.00
चालू सेवा लागत	9.44	0.00
व्याज लागत	0.00	0.00
योजना संशोधन लागत	0.00	0.00
बीमांकित (लाभ)/हानि	237.39	0.00
लाभ का भुगतान	(20.25)	0.00
अंतिम परिभाषित दायित्व	226.58	0.00
उचित मूल्य योजना परिसंपत्ति में परिवर्तन		
योजना परिसंपत्ति का प्रारंभिक उचित मूल्य	0.00	0.00
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित वापसी	0.00	0.00
बीमांकित लाभ / (हानि)	0.00	0.00
नियोजक द्वारा अंशदान	20.25	0.00
लाभ का भुगतान	0.00	0.00
योजना परिसंपत्ति का अंतिम उचित मूल्य		
तुलन-पत्र में सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पर मुख्य बीमांकिक अनुमान		
झूट दर	8.10%	अप्रयोज्य
योजना परिसंपत्ति पर अनुमानित दर की वापसी	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
चिकित्सा स्थिति दर	5.00%	अप्रयोज्य
प्रति व्यक्ति औसत चिकित्सा लागत	6,000	अप्रयोज्य
नरचरत दर	भारतीय सुनिश्चितता जीवन नशवरता 2006-08 संगोथित	अप्रयोज्य
वापसी दर	1.00%	अप्रयोज्य

(लाख रुपये में)

26.10 सेगमेंट रिपोर्टिंग :

कम्पनी का व्यवसायिक कार्यकलाप प्रचालन के रूप में एक सेगमेंट में चिह्नित किया गया है और एक भौगोलिक क्षेत्र में भी, अतः लेखा मानक 17 के अनुसार लेखा में अलग से कोई प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है।

26.11 संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण :

(लाख रुपये में)

विवरण	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	कुल पारिश्रमिक	
		2012-13	2011-12
प्राप्त की जा रही सेवाएँ	1. श्री डी.आचार्य, सीएमडी	34.42	36.90
	2. श्री आर.गुप्ता, (सीएमडी) (31.07.2011 तक)	-	26.28
	3. श्री एस.के. श्रीवास्तव, डी (टी) (13.06.2012 से)	21.78	-
	4. श्री आर.पी.गुप्ता, डी(एफ) (30.09.2012 तक)	19.15	32.56
	5. श्री बी.एल. साहू, डी(एफ) (18.03.2013 से)	0.56	-

26.12 प्रति शेयर लाभ

2012-13

2011-12

कर पश्चात लाभ (लाख रुपये में)

9078.74

6484.24

इकाई शेयर का भारित औसत संख्या

1,43,96,178

1,43,73,403

जोड़ा:ईकाई शेयर की संभाव्य संख्या

1,11,060

1,11,060

ईकाई शेयर का तनुकृत संख्या

1,45,07,178

1,44,84,463

ईकाई शेयर का अंकित मूल्य (रुपया में)

1,000

1,000

प्रति शेयर प्रारंभिक आय (रुपया में)

63.06

45.11

प्रति शेयर तनुकृत आय (रुपया में)

62.58

44.77

26.13 आँकड़ों को लाख रुपये के सन्निकट में लिया गया है। गत वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी जरूरी समझा गया उसे चालू तुलनात्मक दृष्टि से पुनः समूह में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया गया है।

अनुसूची '1' से '26' के हस्ताक्षर

यह हमारे संलग्नक सम विनांक के अनुसार हस्ताक्षरित है।

कृते तोड़ी तुलस्थान एण्ड क.

कृते एवं बोर्ड के तरफ से

समदी लेखाकार

फर्म रजि.सं. 002180सी

(सुरील कुमार तुलस्थान)

बी. सी. गुप्ता

बी. एल. साहू

एस. के. श्रीवास्तव

डॉ. आचार्य

भागोदर

कम्पनी सचिव

निदेशक (वित्त)

निदेशक (तकनीकी)

अध्यक्ष एवं

सदस्यता संख्या : 075899

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 23.08.2013

प्रबंध निदेशक

पच्चीस वर्षीय स्थिति का सार-संग्रह

(लाख रुपये में)

वर्ष	आय	सामग्रियाँ	वैतन/मजदूरी तथा अन्य सुविधाएँ	मूल्यहास (नगद क्षत्र पर हास को छोड़कर)	व्याज	उत्पादन एवं अन्य व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1988-89	3358.2	449.9	750.2	174.8	4.2	1104.8	892.3
1989-90	3882.2	465.9	1026.4	157.7	0.4	1142.5	1092.4
1990-91	3080.6	398.0	938.5	197.9	—	1237.2	323.5
1991-92	3929.3	518.8	1167.1	214.4	—	1455.0	571.8
1992-93	4249.2	659.3	1369.8	217.9	2.1	1624.1	376.5
1993-94	4775.7	788.3	1415.5	281.7	0.7	1970.5	309.0
1994-95	5730.1	1082.3	1530.6	353.4	18.6	2388.1	349.1
1995-96	7149.8	1064.5	2569.6	1286.7	10.2	2187.7	31.1
1996-97	8601.0	1037.0	3141.5	1404.8	0.1	3693.6	(-) 676.0
1997-98	11140.5	1107.0	3429.6	1067.3	—	5019.9	516.7
1998-99	13417.5	1252.7	4255.9	1236.4	—	6495.0	177.5
1999-00	14533.0	1461.9	4522.2	1685.2	—	5361.4	1307.9
2000-01	14797.0	1612.7	4768.8	1842.8	—	6167.4	405.2
2001-02	16587.1	1746.8	5524.8	2054.1	—	6389.3	872.0
2002-03	19357.1	1740.5	5274.5	2069.9	—	7500.0	2772.4
2003-04	21396.9	2248.4	5596.8	2236.3	—	9389.7	1925.7
2004-05	25497.0	2590.01	5945.24	2443.43	—	9896.72	4621.6
2005-06	28156	3121	7309	2468	—	10332	4926
2006-07	29781	4138	8817	2592	—	9856	4378
2007-08	30436	4786	9929	2518	—	11061	2142
2008-09	41462	6143	12728	2755	—	13832	6004
2009-10	54308	7494	14539	6861	—	17827	7785
2010-11	78025	10072	19815	8245	—	21838	16057
2011-12	70728	10469	18572	7184	—	25526	8626
2012-13	85512	12682	21988	7795	—	28447	14417

कर पश्चात लाभ	पूंजी	व्यय	आवृत्ति तथा अधिरोप	सकल निरुद्ध पूंजी	कुल मूल्य हास	शुद्ध निरुद्ध पूंजी	31 मार्च को कर्मचारियों को रकमा
652.3	2575.3	—	1557.2	3300.3	1841.8	1458.5	3392
657.4	5589.3	—	2314.8	3701.3	2035.2	1666.1	3477
143.5	6989.3	—	2458.3	4029.4	2289.8	1739.6	3629
245.8	12417.2	—	2654.4	4933.5	2590.3	2343.2	3748
146.2	17017.3	—	2802.0	5262.4	2824.3	2438.1	3898
104.4	22517.3	—	2906.5	8085.1	3574.4	5510.7	3904
801.9	30517.3	—	3708.4	11277.1	4396.1	6888.0	4024
78.6	5422.3	—	3787.1	18558.6	5813.8	12744.8	4171
(-) 854.0	36922.3	—	1326.6	19008.1	7203.8	11804.2	4249
251.4	37075.3	—	1523.0	25203.8	8644.3	16559.5	4312
367.1	41982.3	—	1808.0	34057.7	10039.8	24018.0	4385
1151.1	41982.3	—	2666.4	36438.7	11894.8	24543.9	4408
303.7	41982.3	—	2902.3	38041.5	13915.3	24126.3	4420
588.2	38339.3	64.4	4971.5	38510.6	16076.3	22434.3	4218
480.84	41839.3	—	4398.8	43443.2	18062.2	25381.0	4147
978.7	49839.3	—	4981.8	48591.2	20109.6	28481.6	4064
2925.1	63389.3	—	7222.8	52746.6	22813.5	29933.1	4034
3161	69094	—	9472	57074	25509	31566	4103
2751	71265	—	11403	61942	28192	33750	4276
1463	84165	—	12433	67254	31012	36242	4439
1801	107765	—	13684	117101	33914	83187	4643
4626	134793	—	16957	123150	40842	82308	4539
10153	143962	—	24146	126383	49131	77251	4896
6484	143962	—	28742	135090	56446	78644	4624
9078	143962	—	37821	145358	64418	80940	4613

